विषय-सूची

क्र. सं.	तारीख	विषय	पृष्ठ संख्या
		आमुख	
1.	28 दिसम्बर, 1989	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	1
2.	29 दिसम्बर 1989	बोफोर्स मामले के बारे में वक्तव्य	28
3.	16 मार्च, 1990	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर	37
4.	30 मार्च, 1990	नामीबिया की यात्रा पर वक्तव्य	52
5.	22 मई, 1990	श्रीनगर में मौलवी फारूक की हत्या के सम्बंध में वक्तव्य	55
6.	22 मई, 1990	हरियाणा में हाल की घटनाओं पर वक्तव्य	58
7.	21 अगस्त, 1990	जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कुपवाड़ा सेक्टर के मछाल सब-सेक्टर में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलाबारी पर वक्तव्य	61
8.	24 अगस्त, 1990	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन पर वक्तव्य	63
9.	27 अगस्त, 1990	युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय के संबंध में वक्तव्य	68

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

28 दिसम्बर, 1989

मैं विपक्ष के नेता को उनके रचनात्मक सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैंने यह समझा है कि उनके रचनात्मक सहयोग को विवेचनात्मक सहयोग तथा विषय आधारित सहयोग के साथ मिलाने में अधिक समय लगेगा। विपक्ष के नेता का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द का उल्लेख नहीं है। पैरा 9 में कहा गया है: "धर्मनिरपेक्ष भारत हमारी भावनात्मक एकता तथा राष्ट्रीय अखंडता का मूल आधार है।" वे कहते हैं कि इसमें असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों का कोई उल्लेख नहीं है।

*** *** ***[1]

फिर उन्होंने कहा कि इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई उल्लेख नहीं है। पैरा 30 में यह कहा गया है: "मेरी सरकार की विदेश नीति उन आदर्शों और सिद्धांतों पर काफी हद तक आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रेरणा दी थी। यह बात हमारी विदेश नीति के गुटनिरपेक्ष आंदोलन से दृढ़ता पूर्वक जुड़े रहने तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नव-उप निवेशवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में झलकती है..."। फिर उन्होंने कहा कि इसमें लोकतंत्र का कोई उल्लेख नहीं है। पैरा 10 में यह कहा गया है: "लोकतांत्रिक संस्थाओं की पवित्रता और शक्ति पर एक स्वस्थ और सफल लोकतंत्र निर्भर करता है। सरकार उन संस्थाओं जिनको हाल के वर्षों में कमजोर कर दिया गया है, की प्रतिष्ठा और तेजस्विता को बहाल करने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है"। जब वे सत्ता में थे तो मैं शब्दाडम्बर की जरूरत को समझ सकता था, किन्तु जब वे विपक्ष में बैठे हैं तो मुझे शब्दाडम्बर की जरूरत समझ में नहीं आती है। यह बातें दस्तावेजों में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में दर्ज हैं। विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी वही है जो जिम्मेदारी सदन के नेता की है। लेकिन यदि वह सभा में खड़े होकर लोगों से यह कहता है कि इसमें ऐसा नहीं है जबकि रिकॉर्ड में उसका लिखित प्रमाण है, तो उसकी क्या विश्वसनीयता है?

इस सरकार के साहस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हम आए दिन आतंकवाद पर लगाम लगाने, आतंकवाद से सख्ती से निपटने तथा ऐसे ही बहुत से पर्यायवाची शब्द सुनते आए हैं। लेकिन यह इस सरकार के प्रधानमंत्री का साहस है कि वह अमृतसर गए तथा वहां लोगों से मिले। इसलिए, साहस की बात मत कीजिए। हम वहां फिर जाएंगे। हम एक बार नहीं कई बार पंजाब जाएंगे, हम पंजाब के लोगों के पास जाएंगे तथा यदि उनको कोई खतरा है तो हम भी वह खतरा उठाएंगे। महोदय मैं आत्मसमर्पण नहीं कर रहा हूं। हमने साढ़े तीन घंटे तक काफी बर्दाश्त किया है। मैं भी जितने समय तक आपने भाषण दिया उससे एक तिहाई समय तक भाषण देने के बाद बात पूरी करूंगा। मैं एक घंटे के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा।

*** *** ***[2]

क्योंकि लोग उसकी ओर आकर्षित हुए हैं। इसलिए मैं वैकल्पिक प्रकार की कार्य-प्रणाली अपना रहा हूं। मैंने यह बात माननीय चिदम्बरम जी में–वैकल्पिक कार्यशैली अधिक भाषणबाजी करना–देखी है। यदि वे प्रश्न पूछते ही जा रहे हैं जैसा कि श्री नरसिम्हाराव जी ने कहा कि यह सरकार पिछली सरकार की विरासतों को स्वीकार नहीं कर रही है तो मैं यह बात कहता हूं कि हमें बहुत सी चीजें विरासत में मिली हैं; हमें पंजाब समस्या विरासत में मिली है, हमें जम्मू और कश्मीर समस्या विरासत में मिली है, हमें बोडो समस्या विरासत में मिली है, हमें रामजन्म भूमि–बाबरी मस्जिद समस्या विरासत में मिली है, हमें भुगतान संतुलन की समस्या विरासत में मिली है, हमें श्रीलंका समस्या विरासत में मिली है, हमें नेपाल समस्या विरासत में मिली है। हमें विरासत में ऐसे 'उपहार' मिले हैं। लेकिन मैं उनकी कार्य शैली की प्रशंसा करता हूं और वे खड़े होकर कहें, "हमने ये समस्याएं पैदा की हैं। आपके पास इनका क्या समाधान है?" वे एक विशेष मनोवृत्ति से पीड़ित हैं तथा मैं मनोविज्ञान और दर्शनशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं तथा उनकी मनोवृत्ति है, 'चूंकि ये समयाएं हमने पैदा की हैं, इस जहां में उनका समाधान और कौन कर सकता है?' और इसलिए हमने रचनात्मक सहयोग देने की उनकी चुनौती और रवैये को देख लिया है। तीन घंटे अर्थात् 11 बजे तक प्रतीक्षा कीजिए।

नरसिम्हाराव जी ने इस सरकार पर सोच-विचार की कमी होने का आरोप लगाया है। मैं नरसिम्हाराव जी पर सोच-विचार की कमी होने का आरोप नहीं लगा सकता। ऐसा करना मेरी ओर से बहुत अनुचित होगा, लेकिन मेरा विचार है कि हम सब यह महसूस करते हैं कि उनके सोच-विचार में काम करने का अभाव है। यदि वास्तव में वह जो सोचते हैं वहीं करें तो कांग्रेस तथा राजनीति दोनों में परिवर्तन आ जाएगा।

*** *** ***[3]

उन्होंने हमें यह चेतावनी भी दी है, "कृपया कांग्रेस पर कालिख मत पोतिए।" महोदय, यदि कांग्रेस लिली के फूल की तरह पाक-साफ नहीं है तो यह कम से कम कमल की तरह पाक-साफ तो होगी, यदि ऐसी भी नहीं है तो कम से कम ट्यूलिप की तरह पाक-साफ तो होगी। आप अपने रंग का चुनाव स्वयं कर सकते हैं, हमारे पास पोतने को कोई रंग नहीं है। हमने जो भाषण सुने उनमें पिछली सरकार ने क्या-क्या किया इसका बखान था तथा उनमें तनाव निरन्तर बना रहा तथा उनमें बार-बार यह पूछा जाता रहा कि, "शीघ्र बताए कि आप इसका अनुसरण करते हैं अथवा नहीं, हमें तुरन्त बताइए।" जब हम विपक्ष में थे तो हमें कुछ जानकारी पाने के लिए वास्तव में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ा। आखिर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम केवल उसकी प्रशंसा ही करते हैं। इसी प्रकार जब एक सरकार ने त्यागपत्र दे दिया है तो हमें इतना निर्मम होकर उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए।

यह पिछली सरकार का करुण वर्णन है। मैं अधिक नहीं कहूंगा। परन्तु यदि मैं कुछ भी कहूं तो तथ्य अपने आप सामने आ जाऐंगे जो कि देश के लोगों से छिपे नहीं रह सकते। जहां तक इन सब दलीलों का सवाल है, ये सब वही हैं जो कि पिछले पांच वर्षों में दी जाती रही हैं तथा लोग इससे तनिक भी संतुष्ट नहीं हुए और इन सभी दलीलों का परिणाम सामने है। हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।

जहां तक घोषणा-पत्र, कार्य-सूची का सवाल है, यह कहा गया है कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसमें किसी खास विषय का उल्लेख नहीं किया गया है। सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि कम से कम हमने एक लक्ष्य तो सामने रखा है। सर्वप्रथम तो लक्ष्य निर्धारित करना होता है तथा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा नहीं दिया जाता है। जब आपको अपने लक्ष्यों का पता नही है तब तक आप उचित दिशा में कदम नहीं उठा सकते। आपको यह पता नहीं होगा कि आप किस दिशा में जाएंगे। यह हमारा लक्ष्य है और हमें इसी के अनुरूप ही परखा जाएगा। हम ऐसे नहीं हैं जिन्होंने पिछले चुनावों में बिना घोषणा-पत्र के नामांकन पत्र दाखिल किया हो। हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री को देखा है जो अब विपक्ष दल के सबसे बड़े नेता हैं।

*** *** ***[4]

कांग्रेस जैसे इतने बड़े दल के नेता और इसके प्रधानमंत्री ने अपना नामांकन पत्र अमेठी में बिना घोषणा-पत्र तथा बिना किसी विशेष कार्य विवरण के दाखिल किया है। इन्होंने केवल नामांकन पत्र ही दाखिल नहीं किया है बल्कि बिना घोषणा-पत्र के चुनाव प्रचार भी शुरू किया। अब वह हमारे विशेष कार्यक्रमों के बारे में पूछ रहे हैं। जी हां, हम अपने विशेष कार्यक्रम बताएंगें। इस दस्तावेज पर चर्चा पूरी होने से पहले ही हमने लोकपाल विधेयक पर कार्यवाही शुरू कर दी हम इसे लाए हैं। जो विधेयक पिछले तीन वर्षों से आपके पास विचाराधीन था आप उसको अन्तिम रूप से पारित नहीं करवा पाए और वह बेकार हो गया। हमने इस विधेयक को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी होने से पहले ही सभा में प्रस्तुत कर दिया और हम इसे पारित भी करवा रहे हैं। रेडियो तथा टेलीविजन पर...

*** *** ***[5]

इसीलिए हम जागरूक रहेंगे तथा अपने वचन पर कायम रहेंगे। सर्वप्रथम तो मैं शक्तिशाली प्रचार माध्यमों—आकाशवाणी और दूरदर्शन, जो कि इलेक्ट्रोनिकी प्रचार माध्यम हैं, को स्वायत्तता दे रहा हूं। हम यह कार्य करेंगे। हम इस कार्य को करके देखेंगे। हम एक लोकतांत्रिक दृष्टान्त और मानदण्ड कायम करेंगे बजाय इसके कि एक सरकार को बचाने के लिए हम सभी लोकतांत्रिक परम्पराओं को समाप्त कर दें। यही फर्क है और राजनीति में कार्य करने का वैकल्पिक तरीका है तथा राजनीति का वैकल्पिक कार्यरूप और ढांचा है।

उन्होंने 59वें संशोधन की बात कही है। विपक्ष के नेता ने कहा है "आप इसे अब प्रस्तुत कर रहे हैं और यह अगले सत्र तक समाप्त हो जाएगा। इसमें आश्चर्य क्या है।" बात यह है कि यह विचार कि जीवन का अधिकार समाप्त किया जा सकता है एक ऐसा विचार है जिसे शुरू में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या आप यह वचन देते हैं कि यदि हम 59वें संशोधन को वापस लेने के लिए कल एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो आपको देर रात तक बैठना पड़ेगा और हमें इस विधेयक को पास करना पड़ेगा।

*** *** ***[6]

देश के नागरिकों के रूप में हमें गलती का यह एहसास हुआ है हमने इस सभा जो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, द्वारा ऐसा विधेयक पारित करवाया जिसने जीवन के मूल अधिकार को छीन लिया और ऐसे कानून का एक मिनट के लिए भी जारी रहना हमारे लिए शर्मनाक बात है। मुझे खुशी है कि विपक्ष के नेता ने इसे समझा है और इसके समाप्त होने से पहले इसे वापस लेने के लिए अपनी सहमति दी।

डाक विधेयक के सम्बन्ध में भी हम राष्ट्रपति को इसे वापस भेजने के लिए सिफारिश कर रहे हैं। यही नहीं इस कार्य-सूची में कोई खास बात नहीं है। यही कुछ कार्य मुद्दे हैं। हम अपने बारे में बड़ी-बड़ी बातें नहीं करते हैं। हम विनम्र हैं हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि हमने जो कुछ किया है वह कभी भी नहीं हुआ है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि देश का सम्मान इतना बढ़ा है जितना कि जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय में भी नहीं था। हम अपने बारे में इतनी बातें नहीं करते हैं।

एक जनवरी को सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेंगे जिससे कार्यों को पूरा किया जा सके। हम बजट सत्र के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगे। लोग तब तक इंतजार नहीं करेंगे। हम जानते हैं क्योंकि हम लोगों के सम्पर्क में रहते हैं और हम इस बात के लिए तैयार हैं कि लोग हमारे बारे में हमारे द्वारा कही गई बातों तथा किए गए कार्यों के आधार पर अपनी राय बनाए।

श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें आपसी तालमेल बढ़े तथा गुप्त मतदान द्वारा श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी एक वर्ष के दौरान लागू हो सके। हम 8 जनवरी को सभी श्रमिक संगठनों और राजनीतिक दलों की बैठक बुला रहे हैं। हम इस विधेयक को बजट सत्र के दौरान पारित करेंगे। मैं वचन देता हूं कि यह मेरा कार्य होगा तथा केवल शब्दों तक ही नहीं रहेगा।

औद्योगिक विधेयक में भी हम श्रमिक संगठनों तथा विपक्षी दलों के साथ बातचीत करेंगे और हम पारित किए गए श्रमिक विरोधी कानूनों में सुधार लाएंगे जो कि एक समयबद्ध कार्यक्रम है।

चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। 9 जनवरी को चुनाव सुधारों के बारे में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का हमारा विचार है तथा अगले बजट सत्र तक हम चुनाव सुधार पर प्रस्ताव लायेंगे। यह भी एक समयबद्ध कार्यक्रम है।

कर्जों के बारे में राहत देने के सम्बन्ध में योजनाएं वित्त मंत्रालय में विचाराधीन हैं और बजट में इसकी झलक दिखाई देगी।

भूमि सुधार के मामले में उन्होंने पूछा "कि आप भूमि सुधार विधान को नौवीं अनुसूची में क्यों सम्मिलित करना चाहते हैं।" उन्होंने मुझसे पूछा, "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपको क्या अनुभव हुए थे?" मुझे अनुभव हुए थे। इसलिए यह बात मैंने यहां पर रखी है। अतिरिक्त भूमि के वितरण हेतु हमने एक अभियान चलाया। अनेक मुकदमे लम्बित रहे।

मुख्यमंत्री के रूप में मैं राज्य में कानून बनाना चाहता था। पर इस लम्बे मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को गरीब लोग सहन नहीं कर सकते थे तथा मुझे बताया गया, "जब तक इसकी व्यवस्था नौवीं अनुसूची में नहीं हो जाती है, तब तक आप कानून नहीं बना सकते। अत: वचनबद्धता है।"

*** *** ***[7]

मैं भी अपने आपको प्रसंग तथा विषयों तक पाबन्द रखता हूं। इन्हीं विषयों के लिए मैं इस सभा में वचन दे रहा हूं। हम राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जनवरी में कर लेंगे और हम इसकी बैठक शीघ्र ही–सम्भवत: जनवरी के अंत तक अथवा बजट सत्र से पूर्व फरवरी के पहले सप्ताह में बुलाएंगे।

*** *** ***[8]

मैं अब एक कार्य-सूची ही प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं इस सभा में एक समयबद्ध कार्यवाही कार्यक्रम देने के लिए वचनबद्ध हूं। हम बजट सत्र से पूर्व अन्तर्राज्यीय परिषद का गठन कर लेंगे और हम मुख्यमंत्रियों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करेंगे।

न्यायिक सुधारों तथा पंचायती राज के बारे में हम अगले बजट सत्र में जनता के हाथों में सत्ता सौंपने सम्बन्धी कानून लाएंगे। इसके साथ सरकारी गोपनीयता अधिनियम तथा सूचना पाने के अधिकार के बारे में भी कानून लायेंगे तथा ये हमारे कार्यक्रम की मौलिक बातें हैं। हमारे योजना आयोग के पास आज की तुलना में काफी अधिक शक्तियां होंगी। यह हमारा कार्यक्रम है, समयबद्ध कार्यक्रम है और बजट सत्र की समाप्ति तक यह इस देश में एक वास्तविकता के रूप में होगा।

*** *** ***[9]

विपक्ष के नेता तथा उनके साथी यह कह रहे हैं: "हम आपको एक अति ऊंची विकास दर के साथ एक शानदार अर्थव्यवस्था सौंप रहे हैं।" मैं इस प्रलेख अर्थात् आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रलेख से एक उद्धरण दे रहा हूं। इस परिषद के सदस्यों को हमने नामनिर्दिष्ट नहीं किया था। सम्भवत: उनका नाम-निर्देशन विपक्ष के नेता की सहमति से किया गया था। हमने इस परिषद में परिवर्तन नहीं किया है। इसमें यही बात कही गई है। "अप्रैल-अगस्त, 1989 का औद्योगिक उत्पादन।" "हमें यही बात पता चल रही है।" "इससे केवल 3.8 प्रतिशत विकास दर का ही पता चलता है।" यह विकास दर 4 प्रतिशत भी नहीं है। विकास दरें कहाँ हैं?

*** *** ***[10]

माननीय सदस्य, अब आप वित्त मंत्री के रूप में, जब मुझे उनके साथ काम करना पड़ा, मेरी कठिनाई को समझ सकते हैं।

घाटे के अनुपात के आंकड़ों, जिनका वे उल्लेख करते आ रहे हैं, के बारे में जब मैं वित्त मंत्री था और मैंने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा कि एक राज्य को 1000 करोड़ रुपए दिए गए

हैं। 1000 करोड़ रुपए जम्मू और कश्मीर को दिए गए थे क्योंकि वहां चुनाव नजदीक थे, जब हरियाणा में चुनाव नजदीक थे तो यह राशि हरियाणा को दी गई थी, जब पश्चिमी बंगाल में चुनाव नजदीक थे, तो यह राशि पश्चिमी बंगाल को दी गई थी।

*** *** ***[11]

और वहीं आर्थिक सलाहकार परिषद यह कहती है, "वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से लेकर 17 नवम्बर तक भारतीय रिजर्व बैंक का शुद्ध केन्द्र सरकार पर ऋण 12,403 करोड़ रुपए हो गया है।" "अभी चार महीने बाकी हैं।" "बजट घाटा, अब भी यथा, स्पष्ट रूप से बजट अनुमानों में लगाए गए अनुमानों की तुलना में बहुत अधिक हो रहा है। वित्तीय असन्तुलन के परिणामस्वरूप मुद्रा की आपूर्ति में 1 मार्च से 17 नवम्बर के बीच 12 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई है।" हमें यही सुदृढ़ अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई है।

भुगतान शेष के बारे में, "विशाल आर्थिक असन्तुलन ने स्पष्ट रूप से भुगतान शेष पर भी विपरीत प्रभाव डाला है। 1988-89 तक भुगतान शेष पर भारी दबाव था और विदेशी मुद्रा के भण्डार में काफी कमी अनुभव हो रही थी। वास्तव में, विदेशी मुद्रा के भण्डार में काफी कमी हुई होती यदि विस्तृत ऋण योजनाओं तथा व्यापारिक ऋणों द्वारा सहारा नहीं दिया गया होता।"

मैं उसी प्रलेख को पढ़ना चाहता हूं, आप कृपया मेरी बात सुनिए।

*** *** ***[12]

"अतएव, यद्यपि भारत पर विदेशी ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है और ऋण प्रभार की गंभीर चिन्ता पैदा हो गई है, फिर भी, स्थिति ऐसी नहीं है। जिससे देश की ऋणशोध क्षमता अथवा साख को तुरन्त कोई खतरा हो।" इसके बारे में यही सब है।

"वास्तविक समस्या यह है कि ऋण-प्रभार ने विकास के मोर्चे पर तथा विकास की नीतियों के चयन के सम्बन्ध में तिकड़मबाजी की गुंजाइश को काफी हद तक कम कर दिया है।"

हमारे पास कोई तिकड़मबाजी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि खजाना खाली पड़ा है। इसमें कोई तिकड़मबाजी नहीं है और यह उनके द्वारा नियुक्त की गई संस्था है। एक बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेता आंकड़ों के बारे में—मैं नहीं जानता—उनमें रिकॉर्ड में आई हुई बात के बारे में इस सभा को बताने का साहस होना चाहिए अन्यथा कोई बात।

कृषि उत्पादन के बारे में, उन्होंने इसके कार्य-निष्पादन की प्रशंसा की है किन्तु दस्तावेज में कहा गया है:

"चालू दशक के दौरान कुल आर्थिक विकास का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है तथा स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पादन 1987-88 तक प्रति वर्ष औसतन 5 प्रतिशत रही है। क्षेत्रीय स्तर पर कृषि में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।"

यह विकास की गति है। आपकी और मेरी समझ में यही अंतर है। कृषि क्षेत्र में केवल 2 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि अन्य क्षेत्रों में यह वृद्धि 5 प्रतिशत है। हमें इसी क्षेत्र की चिंता है। यह वृद्धि जनसंख्या वृद्धि के बराबर है। कृषि में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद शून्य है, यही वह मुद्दा है।

*** *** ***[13]

वे यह बात नहीं समझते। यह इसी से सम्बन्धित है। यह मूल्य-वृद्धि पर आधारित सकल घरेलू उत्पादन है। यदि यह वृद्धि जनसंख्या में हुई वृद्धि की दर के समान है, प्रति व्यक्ति वृद्धि कुछ भी नहीं हुई। ऐसा कहा जा सकता है:

> "दूसरी ओर सकल कृषि उत्पादन जैसा कि ऊपर बताया गया है, कृषि में मूल्य वृद्धि के आधार पर अलग है। जिसमें छठी योजना अवधि के दौरान प्रति वर्ष 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी सातवीं योजना के पहले चार वर्षों में कम होकर प्रति वर्ष चार प्रतिशत से कुछ अधिक रह गई।"

इसमें कमी आई है। अब हम यह देखते हैं कि उन्होंने यह लक्ष्य कैसे प्राप्त किया। कुल योग प्रतिशत वृद्धि नहीं है।

*** *** ***[14]

मैं समझा कि माननीय श्री वसंत साठे जी इससे बेहतर कर सकते थे और उन्होंने इस तथ्य को सामने लाया है कि कृषि उत्पाद एक वर्ष में 20 प्रतिशत बढ़ा कब? सूखा पड़ने के बाद के वर्ष में अगर सूखा और भयंकर होता तो उत्पादन में शत-प्रतिशत वृद्धि हुई होती।

मैं आंकड़ों और सांख्यिकी में इस सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। संक्षेप में बात यह है कि हम भी कृषि क्षेत्र के लिए ज्यादा चिंतित है। भारत की जनसंख्या का 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और यह सत्य है कि हम इसके बारे में चिंतित हैं आप नहीं। हमारे दृष्टिकोण में यह अंतर है। इसी क्षेत्र में निरन्तर गरीबी रही है। इस क्षेत्र की 72 प्रतिशत जनसंख्या है। इस क्षेत्र में श्रमिक बढ़ रहे हैं। इसलिए रोजगार मेरा मुख्य विषय होगा। और हमारे विकास का केन्द्र बिन्दु होगा, सिर्फ विकास ही नहीं, बल्कि यह विकास कहां तक पहुंचेगा। समानता हमारे विकास का केन्द्र बिन्दु होगा न कि सिर्फ विकास। हमने देखा है कि जिस क्षेत्र में जितनी घनी आबादी होती है उसमें उतनी ज्यादा गरीबी होती है। हमारी नीति, इन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाना होगा। इस कृषि विकास से एक भिन्न प्रकार का औद्योगिक विकास भी होगा। कृषि को पुन: सही दिशा देने से उद्योग को भी सही दिशा मिलेगी। कृपया चुप रहिए। यह एक गम्भीर मामला है और मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। विशिष्ट व्यक्तियों के उपभोग की वर्तमान नीति में स्थायी उपभोक्ता वस्तु की मांग है। हमारे सभी संसाधनों के प्रयोग के लिए पर्याप्त बाजार है।

जब हम कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं और उत्पादन बढ़ाते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों की क्रयशक्ति भी बढ़ेगी। परन्तु उनकी मांग विशिष्ट जनों की मांग से भिन्न होगी।

उनकी मांग उपभोक्ता वस्तुओं के लिए होगी। मांग पैदा करने पर उद्योग फले-फूलेंगे। यह हमारी नीति होगी और यह हमारे दृष्टिकोण में आधारभूत अंतर है, इससे न सिर्फ उद्योग का पुनर्निर्माण होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही कृषि के अलावा रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और शहर की और बढ़ने वाले दबाव तथा कृषि पर निर्भरता का दबाव कम होगा। यह कृषि तथा औद्योगिक विकास के हमारे दृष्टिकोण का आधारभूत अंतर है।

विपक्ष के नेता ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के बारे में प्रश्न किए हैं। मैंने पहले ही कहा है कि इन अनुपूरक मांगों को क्यों ला रहे हैं। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनेकों बार हमारे रक्षा बजट को पड़ोसियों के रक्षा बजट के अनुसार बनाना पड़ता है और हम देश की सुरक्षा के मामले में समझौता नहीं कर सकते। परन्तु मैं यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी क्या कमी है। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता मेरे विचार से सहमत होंगे। रक्षा के मामले में मैं दलगत भेद नहीं रखता और उन्होंने इसे नोट किया होगा। यह राष्ट्रीय समस्या है। परन्तु रक्षा मामलों पर कोई दीर्घावधि नीति योजना नहीं है। मंत्री बदलते हैं, अधिकारी बदलते हैं, सेनाध्यक्ष बदलते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा प्रतिदिन किया जाता है। परन्तु हम महसूस करते हैं कि रक्षा नीति पर कुछ स्थाई राष्ट्रीय विचारधारा होनी चाहिए। सुरक्षा सिर्फ अस्त्र प्रणाली का ही प्रश्न नहीं है। नि:संदेह इसकी आवश्यकता है इसके लिए रक्षा तैयारी होनी चाहिए परन्तु इसके साथ विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय, तथा औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक उपाय भी साथ-साथ किए जाने चाहिए। अब सुरक्षा और तस्करी भी सुरक्षा खतरे से जुड़ गई हैं और अन्य एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गई हैं। एक पूर्ण मत तथा हमारे देश की सुरक्षा के लिए स्थायी आधार बनाने के लिए यह सरकार एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाने जा रही है। हम इसे बजट के पहले लाएंगे।

और परमाणु ऊर्जा के बारे में हमारी प्रतिक्रियाओं के बारे में पाकिस्तान को यह सिद्ध करना है कि वह परमाणु बम बनाने जा रही है अथवा नहीं परन्तु हम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं परन्तु यदि पाकिस्तान परमाणु बम बनाता है तो मैं समझता हूं कि इसका हमारी रक्षा नीति तथा सुरक्षा नीति पर काफी प्रभाव पड़ेगा और हमें पुन: सोचना होगा।

*** *** ***[15]

जसवंत सिंह जी ने बोफोर्स के बारे में बहुत से प्रश्न उठाए तथा उन्होंने इस बारे में बहुत से सुझाव दिए कि हमें क्या करना चाहिए, स्वीडन सरकार तथा स्विट्जरलैंड से सभी जानकारी प्राप्त करने हेतु औपचारिक अनुरोध करने के लिए क्या करना चाहिए तथा इसी प्रकार के बहुत से सुझाव दिए हैं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे लिए कोई भी विकल्प बन्द नहीं है तथा हमने कड़ी कार्यवाही की है तथा हमने बोफोर्स को तब तक और कोई ठेका देने के अयोग्य ठहरा दिया है जब तक वह 155 मि.मी. तोपों के बारे में अपने व्यवहार को स्पष्ट नहीं कर दे तथा जिसमें भुगतान पाने वालों के नाम बताना तथा धन लौटाना शामिल है।

उन्होंने बोफोर्स का एक बार भी उल्लेख नहीं किया है। इसलिए मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह ने पूछा है क्या भूतपूर्व महान्यायवादी अथवा उनके कार्यालय ने बोफोर्स के मामले में कोई सलाह दी थी। महान्यायवादी ने एक कानूनी सलाह दी थी–मुझे उनके कार्यालय से कहा गया है–तथा इस संबंध में यह उसकी एक प्रति है।

ठेका करने से पहले ए.बी. बोफोर्स को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी गई थी कि भारत सरकार उस फर्म को अयोग्य करार देगी यदि सरकार को यह पता चला कि किसी विदेशी फर्म ने अपना एजेंट नियुक्त किया है; कि भारत सरकार ने इस शर्त पर जोर दिया था तथा ए.बी. बोफोर्स इस पर सहमत थी। यह बात उनके पत्राचार से स्पष्ट हो जाती है। इसलिए यदि ए.बी. बीफोर्स ने मौजूदा मामले में किसी भारतीय एजेंट की सेवाएं ली हैं तो ऐसा करना ठेके की पूर्व शर्तों के विपरीत है तथा भारत सरकार के सामने यह विकल्प है कि या तो वह उनको शर्त भंग करने वाला माने और उन पर नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए दावा करे अथवा ठेके को चालू रखे तथा उन पर आश्वासन भंग करने के लिए दावा करे। महान्यायवादी ने काफी समय पूर्व 4 जुलाई, 1987 को यह सलाह दी थी तथा सरकार को इस सलाह की जानकारी थी तथा सरकार उसी समय कार्यवाही कर सकती थी। यह सलाह बिल्कुल स्पष्ट थी। महान्यायवादी ने यह सलाह दी कि ए.बी. बोफोर्स ने ठेके की शर्तों को भंग किया है तथा सरकार कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अगले पैरे में क्या होता है?

प्रधानमंत्री द्वारा दी गई टिप्पणियों, आदि पर महान्यायवादी विचार करता है; फिर इस पर कानूनी रूप से विचार किया जाता है।

मैं सब कुछ पढ़कर सुनाऊंगा। जैसा आपने तीन घंटे तक सब कुछ पढ़ा, मैं भी पढ़कर सुनाऊंगा।

मैं जानता हूं कि ठेका रद्द किया जाना चाहिए अथवा नहीं इसका निश्चय केवल कानूनी सोच-विचार पर ही नहीं बल्कि इस मामले के राजनीतिक स्वरूप ले लेने की दृष्टि से राजनैतिक सोच-विचार–कानूनी सलाह दी जाती है इसलिए ऐसा किया जा सकता है–पर किया भी जाना था मुझे याद है कि यह बात महान्यायवादी, के दिमाग में आई थी जिसने एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में अपनी सलाह पहले ही दे दी थीं। मुझे याद आता है कि समाचार-पत्रों में एक वक्तव्य, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया बताया गया था, प्रकाशित हुआ था कि उनका ठेका रद्द करने तथा सेना की तोपों से वंचित करने का इरादा नहीं है।

*** *** ***[16]

जी हां, मैं रखूंगा। "जब यह बात स्पष्टतः समझ ली गई है।" "दोनों पक्षों के बीच" महालेखापरीक्षक है। बोफोर्स को विशेषकर रक्षा क्षेत्र में यह दावा करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है कि कम्पनी को अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों पर गोपनीयता बनाए रखनी है। यदि यह दलील मान ली गई तो वे भारत सरकार के साथ हुए उनके समझौते की इस पूर्व शर्त कि कोई बिचौलिया नहीं होगा, का उल्लंघन कर सकते हैं। वे इस समझौते का प्रतिवाद करते हुए बिचौलिए के साथ यह समझौता कर सकते हैं और गोपनीयता के मिथ्या तर्क के आधार पर विस्तृत जानकारी देने से मना कर सकते हैं। यह सही स्थिति नहीं हो सकती है क्योंकि यदि मामला मध्यस्थ या न्यायालय के पास जाता है तो भारतीय कानूनों के अंतर्गत वे तथाकथित

बिचौलियों तथा उनको दी गई धनराशि के बारे में ब्यौरा देने के लिए बाध्य होंगे। सिद्ध करने का दायित्व उन पर होगा क्योंकि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी है। अगर उनके वर्तमान आधार को मान लिया जाए तो उनके लिए इस शर्त का कोई मतलब नहीं रहेगा कि वे बिचौलिया को रख सकते हैं व उनको दलाली का भुगतान कर सकते हैं तथा गोपनीयता के आधार पर नाम भी नहीं बता सकते है। ठीक उसी तरह वे यह दावा करते हैं कि गोपनीयता के प्रश्न बिचौलिए के साथ की गई संविदा का पालन करना उनका कर्तव्य है और ठीक उसी कारण से भारत सरकार के साथ हुए बिचौलिए न रखने की संविदा का पालन करना भी उनका कर्तव्य है। चूंकि भारतीय संविदा के संदर्भ में दलाली दिए जाने के आरोप लगाए गए हैं अतएव, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे भारत सरकार को उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें। भारतीय संविदा के लिए बातचीत के समय यदि वे बिचौलियों के साथ पहले ही संविदा कर चुके थे जिनके लिए वे यह दावा करते हैं कि मुआवजे का भुगतान करके अब मामले को रफा दफा कर देना चाहिए तो उनका यह कर्तव्य बन गया था कि वे भारत सरकार को उस समय यह बता देते, जिस समय संविदा की गई थी, विशेषकर उस समय जब भारत सरकार ने यह शर्त रखी थी कि इस मामले में कोई बिचौलिया नहीं होगा।

बोफोर्स ने 10.3.1986, जो कि दोनों पार्टियों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले की तारीख थी कि लिखित रूप में यह पुष्टि कर दी थी कि इस परियोजना में उनके विशेषकर भारत में कोई बिचौलिए नहीं हैं तथा यह कि वे स्थानीय कम्पनी ए.बी. कॉरपोरेशन का इस्तेमाल केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने 26-4-1987 को भेजे गए एक टेलेक्स द्वारा यह पुष्टि की है कि इस प्रशासनिक कार्य के लिए उन्होंने यह शर्त निर्धारित की थी कि वे उन्हें जनवरी, 1986 के प्रतिमाह एक लाख रुपए का भुगतान करेंगे। उस संविदा के संबंध में यह बात स्वीकार करने के बाद कि प्रतिमाह एक लाख रुपए का भुगतान करने सम्बंधी समझौते के अलावा और कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अत: कथित एजेंसी या समझौते को समाप्त करने के लिए तर्कसंगत रूप से कोई दूसरा भुगतान नहीं हो सकता है क्योंकि एक लाख के भुगतान पर अनुरक्षण संविदा के अलावा भारत सरकार को ऐसी कोई बात बताई नहीं गई है। यही सब बात है। मैं पूरी बात पढ़कर सुन सकता हूं।

*** *** ***[17]

अब विदेशी दबाव की बात बहुत हो चुकी है तथा 301 का सवाल उठाया गया है। अप्रैल 1989 में जेनेवा में भारत सरकार बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के बारे में नए नियमों एवं मानदण्ड बनाने के बारे में बातचीत करने के लिए सहमत हो गई थी। बावजूद इसके कि भारतीय पेटेंट कानून को बदलने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। यह पिछली सरकार ने हमारे कानूनों को ऐसा संरक्षण दिया है।

मुझे पता है कि यह बात माननीय दिनेश जी के लिए कष्टप्रद है।

जेनेवा में भारत सरकार इसे छोड़ने के लिए सहमत थी।

कृपया उसी पक्ष की ओर से शोरगुल होने दीजिए अन्यथा कार्य और अधिक मुश्किल होगा।

जेनेवा में भारत सरकार विकास और तकनीकी उद्देश्यों तथा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता को संतुलित करने के विचार को छोड़ देने के लिए सहमत हो गई थी। जेनेवा में भारत सरकार बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार के बारे में विपो (डब्ल्यू.आई.पी.ओ.) तथा 'अंकटाड' के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिनके अधिकार क्षेत्र में यह मामला आता है पर चर्चा नहीं करने के लिए सहमत हो गई थी और मुझे याद है कि जब भी इन सेवाओं तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में यह विचार आया तो मैंने यही दृष्टिकोण अपनाया था। इन सेवाओं के सम्बन्ध में विपो तथा अंकटाड आदि का उल्लेख करते समय मैंने "गैट" (सामान्य व्यापार एवं टेरिफ समझौते) को छोड़ दिया। इस प्रकार भारत को अप्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों को केवल "गैट" में चर्चा करने के लिए सहमत होना पड़ा है। यही इसका परिणाम रहा है और मैं समझता हूं कि आधारभूत राष्ट्रीय हितों को छोड़ा गया है।

*** *** ***[18]

पनामा के सम्बन्ध में भी, संयुक्त राज्य अमरीका के आक्रमण की भर्त्सना करने वाले गुटनिरपेक्ष देशों में हम भी हैं।

*** *** ***[19]

अब करीब एक घण्टे तक, मैं समझता हूं दो तिहाई समय की बजाय आधा समय विदेश नीति पर चर्चा में ही लग गया है। अब हम सब यह अच्छी तरह जानते है विदेश नीति दलगत दृष्टिकोण से नहीं चलाई जा सकती और हम इस बात से सहमत होंगे क्योंकि विदेश नीति किसी दल विशेष की निजी सम्पत्ति नहीं है।

हमारी विदेश नीति हमारे स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम है। इसका आधार स्वतंत्रता आन्दोलन था। जी हां, जवाहर लाल नेहरू हमारी विदेश नीति के निर्माता थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हम सब इसे स्वीकारते हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

मैं प्रतिपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूं कि हम गम्भीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए इसमें बेकार की टिप्पणियों के लिए कोई स्थान नहीं।

विदेश नीति हमारे देश की भौगोलिक-राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। इसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इसमें राष्ट्र की सहमति है। हमने जो गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाई है वह भी राष्ट्रीय सहमति के आधार पर बनाई गई है। हम सबका इसमें योगदान है, विकासशील देशों के साथ हमारा भाईचारा है, रंगभेद से हमारा विरोध है, फिलीस्तीनियों के तथा उनके स्वतंत्र राष्ट्र की मांग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, अपने पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध सुधारना तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना भी हमारी नीति में आता है। ये राष्ट्रीय नीतियां हैं और प्रतिपक्ष के नेता यह बात जानते थे कि इनका कोई विरोध नहीं होगा। अतएव हर बार वे यह पूछते हैं "आपकी स्थिति क्या है?" क्योंकि वे यह जानते हैं कि हमारी स्थिति यह है कि इन नीतियों के प्रति कोई विरोध नहीं हो सकता।

श्रीलंका के बारे में हम शांति चाहते हैं और तमिल ग्रुपों के बीच सदभाव के लिए और हस्तांतरण के माध्यम से उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम इस प्रक्रिया में

मदद करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ, हमें जो समस्या विरासत में मिली है वह यह कि हमें अन्य ग्रुपों जिनके पास हथियार हैं और आपस में लड़ रहे हैं, का सामना करना पड़ रहा है। जैसे-तैसे हमें इस स्थिति से उबरना है और सेना को सम्मानजनक ढंग से वहां से निकालना है परन्तु इस बात पर भी विचार करना है कि हमारी सेना ने जितना बलिदान किया है, उससे इस समय के दौरान हमारा कौन-सा राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा हो पाया है। हमारी सेना बहुत महान है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। इसके सिवाए कोई रास्ता नहीं है और यह अन्तिम बलिदान है लेकिन यह सब किस लिए? यह केवल राष्ट्रीय हित के लिए था।

नेपाल के संबंध में, हमने पहल की है।

*** *** ***[20]

उधर बैठे प्रतिपक्ष के नेता जब तमिलनाडु गए उन्होंने द्रविड़ संस्कृति की बात की। दक्षिण की उसी द्रविड़ संस्कृति ने ही उनकी पार्टी को बचाया है।

नेपाल के बारे में, पहल शुरू हो चुकी है और वहां के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। हमने उन्हें आमंत्रित किया है और वे आ रहे हैं। देश की सुरक्षा तथा हित का ध्यान रखा जाएगा। हमारी सुरक्षा के खतरे की उपेक्षा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे विचार से नेपाल को भी यह बात समझनी चाहिए। इसके साथ-साथ हम यह भी समझते हैं कि नेपाल की भी समस्या है। हमारे उसके साथ विशेष संबंध हैं और यह चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है और हमें उसके सम्बंध में संवेदनशील होना चाहिए। दोनों ओर समझदारी होनी चाहिए यही हमारी कोशिश होगी।

इसके बाद चीन के संबंध में, हमने अपनी कार्यसूची में इसे रखना होगा और चीन से संबंध सुधारने को प्राथमिकता देनी होगी। हम अपने राष्ट्रीय हित का पूरा ध्यान रखते रहे हैं और इसी संदर्भ में इन पहलों को जारी रखेंगे और उन बैठकों का जिनका प्रतिपक्ष के नेता ने जिक्र किया है, हम वे बैठकें शीघ्र बुलायेंगे। इनमें बाधा डालने का सवाल ही नहीं उठता।

*** *** ***[21]

जम्मू तथा कश्मीर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वास्तव में हमारे सत्ता में आने के बाद जिसमें हमें निराशा हुई वह है जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति जो हमें विरासत में मिली है। गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं उनके दुःख को जानता हूं। मैं जानता हूं कि अन्तिम क्षण में उन्होंने कहा था "मैं उनसे समझौता नहीं करूंगा जो कुछ भी करना है जम्मू तथा कश्मीर सरकार को और अपनी ओर से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा"। उन्होंने ऐसा कहा था। मैं इस विषय में बस यह जानता हूं। हमें ये स्थिति मिली है। 1985 में हिंसा की 390 घटनाएं हुई थीं; 1989 में इनकी संख्या 2080 है। 1988 में मृतकों की संख्या 31 थी, 1989 की 90 है। 1988 में बम विस्फोटों की संख्या 24 थी, 1989 की 476 है। मैं जानता हूं कि उनकी यह कहने की प्रवृत्ति है यह सब 15 दिनों में हुआ है। 1988 में उग्रवादियों के सशस्त्र हमले 7 थे और 1989 में 117, 1988 में पुलिस फायरिंग की संख्या 51 थी, 1989 में यह 270 है। यदि वहां के लोगों तथा उग्रवादियों का साहस बढ़ा है तो यह केवल इसलिए कि पिछली सरकार इतनी असमर्थ थी और प्रशासन की कानून–व्यवस्था पर

पकड़ ढीली थी। वास्तव में वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। हमें ऐसी स्थिति विरासत में मिली। इस पर भी हमसे पूछा जाता है: "जो स्थितियां हमने पैदा की हैं उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं?" मेरे विचार से हमें इसे चर्चा का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जहां तक जम्मू तथा कश्मीर का संबंध है, मैं हर दरवाजे तथा हर दल के पास जिसमें प्रतिपक्ष का नेता भी शामिल है, देश को बचाने के लिए, जाने के लिए तैयार हूं। जम्मू तथा कश्मीर के मामले में हमें एक होना होगा। पंजाब के बारे में भी हमें एक होना होगा। इन मामलों को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया जा सकता। इस देश की रक्षा के लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें दलगत स्वार्थ आड़े नहीं आते। इसलिए, देश की अखण्डता के लिए, मैं उनसे सहयोग करने और उनकी सहायता लेने के लिए तैयार हूं।

*** *** ***[22]

पंजाब के बारे में मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि अलगाववादी ताकतों के साथ समझौता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत के संविधान के विरुद्ध समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता इसके लिए चाहे हमें किसी प्रकार की चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। देश की एकता और अखण्डता और भारत के संविधान में दी गई मूलभूत बातों, चाहे उनके जो भी नाम या परिभाषाएं दी गई हों, के साथ समझौता करने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

छात्रावास में लड़कों अथवा किसी भी व्यक्ति जिसे धमकी दी जाती है की सुरक्षा के संबंध में हमने अनुदेश दिए हैं, हम उनका पालन करेंगे क्योंकि किसी भी नागरिक चाहे वह पंजाब का रहने वाला हो, की सुरक्षा मुख्य बात है। इस संबंध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से लोगों का बड़ी संख्या में पलायन अथवा किसी भी प्रकार के डर को हम गम्भीरता से लेंगे। हम इस बात का भरसक प्रयास करेंगे कि ऐसी बातें न हों। इसलिए इन मामलों के बारे में हमारा स्पष्ट मत रहा है।

*** *** ***[23]

आखिर में, मैं यह महसूस करता हूं कि सारे वाद-विवाद में एक महत्वपूर्ण पहलू छूट गया है। मैं विपक्ष के नेता से इस संबंध में आशा करता था क्योंकि वह युवावर्ग के हैं–युवाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। युवाओं ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। चार, पांच वर्षों तक प्रधानमंत्री युवा वर्ग का था–उसका वर्णन युवा प्रधानमंत्री के रूप में किया जाता था। लेकिन उस युवा प्रधानमंत्री ने देश को स्वरूप प्रदान करने में युवाओं की भागीदारी के लिए उनको याद नहीं किया। जब हमने धमकी दी कि हम अखिल भारतीय आंदोलन करेंगे तो मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष किया गया। वह उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं था बल्कि यह हमारे कार्यक्रम में शामिल था।

रोजगार हमारी शिक्षा नीति न कि हमारे द्वारा अपनाई जा रही विशिष्ट वर्ग की नीति का आधारभूत सिद्धांत है। हमारी तीन शिक्षा नीतियां, शैक्षिक योजनाएं हैं। एक शैक्षिक नीति गरीब

लोगों के लिए है जो खुले में पेड़ के नीचे शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक शैक्षिक नीति मध्यम-वर्ग के लोगों के लिए है जो गैर-सरकारी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं।

एक शैक्षिक नीति अमीर लोगों के लिए है जो कान्वेंट और विशिष्ट संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस भिन्नता के होते हुए आप सब लोगों से एक साथ प्रतियोगिता करने को कहते हैं। मेरा विचार है कि इसमें निष्पक्षता और न्याय होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम युवाओं के लिए एक नीति बनाने के लिए जनवरी में देश के सभी युवा नेताओं से भेंट करेंगे, उनके साथ विचार-विमर्श करेंगे, उनके साथ मिलकर विचारों का आपस में आदान-प्रदान करेंगे तथा मेरा विचार है कि समाज को एक और अधिक विश्वसनीय ढंग से बदलने के लिए देश को एक युवा आंदोलन की जरूरत है।

हमने साम्प्रदायिकतावाद और दंगों के संबंध में यह बात स्पष्ट कर दी है तथा इनके बारे में कोई मतभेद नहीं है कि धर्मनिरपेक्ष भारत ही शक्तिशाली और संगठित हो सकता है। हम देश की भावनात्मक एकता का समर्थन करते हैं तथा हम इसे किसी भी रूप में बंटने नहीं देंगे तथा साम्प्रदायिक सद्भाव हमारा आधारभूत सिद्धांत है। अल्पसंख्यक लोगों को शामिल न करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, हम उनको न केवल सुरक्षा प्रदान करेंगे बल्कि उनको भारत के आर्थिक विकास में भागीदार भी बनाएंगे और वे जहां कहीं भी कठिनाई में हैं, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनको विकास का लाभ मिले तथा वे यह महसूस करें कि वे इस महान देश का एक हिस्सा हैं। इसलिए हम भागलपुर की घटनाओं के बारे में यह विशेष कार्रवाई करेंगे। मैं केन्द्रीय सरकार की ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि हम भागलपुर के दंगा पीड़ितों को राहत देने के लिए अपनी पाई-पाई दे देंगे तथा मैं अपना दौरा शुरू करने से पहले– मैंने अपना राजनीतिक दौरा शुरू नहीं किया है–तीन तारीख को भागलपुर गया था तथा मैं सद्भाव लाने के अपने वायदे पर अभी तक कटिबद्ध हूं। इन शब्दों के साथ मेरा विचार है कि–अभी बहुत से प्रश्न बाकी हो सकते हैं लेकिन मेरा विचार है कि मैंने न्याय करने का भरसक प्रयास किया है–राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव।

*** *** ***24

पश्च टिप्पण

I. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर, 28 दिसम्बर, 1989

1. **एक माननीय सदस्य** : नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां। ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

श्री राजीव गांधी : मैंने यह कहा था कि कुछ सदस्यों ने अपने भाषणों में इसके बारे में अप्रतिष्ठाजनक बातें की थीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, मैं इस पर बल नहीं दूंगा, उन्होंने यह बात स्वीकार की है।

2. **श्री राजीव गांधी** : मैं इस सम्बन्ध में एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक घंटे के बाद प्रश्न कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि आप एक घंटे के बाद प्रश्न कर सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, उनको भी बर्दाश्त करने दीजिए जैसाकि हमने तीन घंटे तक बर्दाश्त किया।

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उन्होंने मुझे ऐसा करने की अनुमति दी है। आप क्यों चिल्लाते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री राजीव गांधी को प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

श्री राजीव गांधी : यह कैसे हो सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री अलगाववादियों और आतंकवादियों, जो हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं, की धमकी में नहीं आता है?

3. **एक माननीय सदस्य** : यह बात विषय से संबंधित नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह बात कमलापति जी के द्वारा कही गई बात के संबंध में है। कृपया अपने दिल टटोलें।

4. **श्री कल्पनाथ राय (घोसी)** : सभा का सबसे बड़ा दल है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है। सभा में सबसे बड़ा दल है। "सभा में" ही क्यों, यह तो विश्व में है।

5. **श्री वसन्त साठे** : आप इसे बिना बनाए ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नया ढांचा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खैर! माननीय वसन्त साठे जी के साथ समस्या यह है कि वह बना तो लेते हैं परन्तु प्रस्तुत नहीं करते हैं।

श्री वसन्त साठे : यह तो प्रकृति का नियम है, परन्तु यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे पता है कि वह ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके और हमारे रवैये में फर्क है। उनके लिए सफलता एक घटना है, हमारे लिए सफलता एक प्रक्रिया है। अत: जब वह पिछली बार जीते थे तो उन्होंने सोचा था कि घटनाक्रम पूरा हो गया है तथा अब उन्हें कुछ नहीं करना है। हमारे लिए तो यह है कि हम जानते हैं कि यह एक घटना नहीं है तथा यह एक प्रक्रिया है और यह लगातार जारी चलने वाली प्रक्रिया है।

6. **श्री राजीव गांधी** : जी हां, हम ऐसा करेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया है।

श्री राजीव गांधी : हम इस सत्र में और अधिक समय तक बैठ सकते हैं परन्तु आपका दल इसे जल्दी समाप्त करना चाहता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी उपलब्धि है यह विजयश्री है।

7. **श्री आर.एन. राकेश (चैल)** : सभापति महोदय, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। दहिया ट्रस्ट में 5400 एकड़ भूमि जो सरप्लस थी और बहुगुणा जी के मुख्य मंत्रित्व काल में भूमिहीनों को जो पट्टा दिया गया था, जिसको आपने छीन लिया था, उसे आप वापिस कराएंगे या नहीं? राम जानकी ट्रस्ट जिसमें 10 अरब रुपए के हीरे–जवाहरात हैं।

सभापति महोदयः कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

8. **श्री आर. एन. राकेश** : सभापति महोदय, इन्होंने दहिया ट्रस्ट का जवाब नहीं दिया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप चिन्ता मत कीजिए, उसका भी जवाब देंगे।

9. **श्री रंगाराजन कुमार मंगलम** : काम के अधिकार के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : काम के अधिकार के बारे में भी विचार किया जाएगा। यदि आप सहयोग करेंगे तो हम काम के अधिकार के लिए संविधान में व्यवस्था कर देंगे।

10. **श्री राजीव गांधी** : चार मासों में 3 प्रतिशत।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी नहीं, जी नहीं। प्रतिशतता की दर।

11. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : दिए नहीं गए थे, भाई, बल्कि देने का वायदा किया गया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, हां। मुझसे कहा गया, विश्वनाथ जी, आपको यह घोषणा देखकर काफी चिन्ता होगी। मैंने कहा, मुझे इसलिए चिन्ता हो रही है क्योंकि हमारे पास

धन नहीं है? अब मैं एक हजार करोड़ रुपयों की व्यवस्था नहीं कर सकता और मेरे विचार में श्री फारुख एक सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं।

12. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या यह कोई नई बात है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी, हां, यही तो एक नई बात है।

श्री जनार्दन पुजारी : जब आप सरकार में थे तब भी वही बात थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह वही बात नहीं थी।

ऋण प्रभार अनुपात यह नहीं था। पुजारी जी मेरे सहयोगी थे।

श्री जर्नादन पुजारी : इसीलिए मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। सभापति महोदय, जब वे वित्त मंत्री थे, तो इस सभा के भीतर तथा दूसरी सभा में भी यह बताते रहे थे कि "हम कभी भी चूककर्ता नहीं रहे हैं, हमारी विश्वसनीयता बहुत अधिक है।" उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। यह पहली बार नहीं हो रहा है। वे हमारे नेता की दिनों-दिन प्रशंसा करते रहे हैं; आज वे इतनी बातें बना रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, श्री राजीव गांधी ने एक अच्छा काम यह किया था कि उनको वित्त मंत्रालय से हटा दिया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं; यह तो विपक्ष के नेता, जब वे सत्ता में थे, द्वारा नियुक्त आर्थिक सलाहकार परिषद कह रही है। इसने क्या कहा है।

13. **श्री राजीव गांधी** : क्या कृषि उत्पादन 2 प्रतिशत था? तो इसमें बहुत बड़ी गलती हुई लगती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह मूल्य वृद्धि पर आधारित उत्पादन में वृद्धि है जो कि 2 प्रतिशत है।

14. **श्री जनार्दन पुजारी** : महोदय, मैं नियम 355 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ जिसमें कहा गया है:

> ''जब चर्चा के दौरान में स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य पर्याप्त कारण से किसी सदस्य को उस समय सभा के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह अध्यक्ष की मार्फत प्रश्न पूछेगा।''

अब मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूँ।

सभापति महोदय : इस नियम में यह भी कहा गया है, बशर्तें अध्यक्ष सहमत हों।

सभापति महोदय : मैं कह रहा हूँ आप कृपया बैठ जाइए। आपका व्यवस्था का प्रश्न सही नहीं है, यह अध्यक्ष का विषेशाधिकार है। प्रधानमंत्री अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्होंने लक्ष्य को इस प्रकार प्राप्त किया है।

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या मैं उसी भाग को आपको पढ़कर सुनाऊंगा?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तीन घंटे तक बोलने के बाद भी क्या अभी भी कुछ बोलना बाकी रह गया है?

श्री राजीव गांधी : जगलरी दिखा रहा हूं, आपको।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

श्री राजीव गांधी : इस दस्तावेज में कृषि उत्पादन 20 प्रतिशत बताई गई है न कि 2 प्रतिशत।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं भी उसी दस्तावेज का हवाला दे रहा हूं।

श्री वसन्त साठे : कृपया पैरा 4 पढ़िए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने इसे पढ़ा है।

पहले सातवीं योजना के लिए 178-183 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया था। मध्य-अवधि पुनरीक्षा में इसे कम करके 175 मिलियन टन कर दिया गया था। इस प्रकार पिछली सरकार ने अपने लक्ष्य को कम किया और फिर उसे प्राप्त किया।

श्री वसन्त साठे : मैं निदेश 115 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। यह बात ठीक नहीं है। मैं बार-बार यह कहता रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले पर सदन को गलत सूचना नहीं दी जानी चाहिए। वे इस दस्तावेज से पढ़ रहे हैं। मैं इस दस्तावेज के पैरा 4 का उल्लेख करना चाहता हूं। कृपया मुझे इसकी अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : साठे जी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? अध्यक्ष के निदेश 115 में यह कहा गया है:

> ''कोई सदस्य जो किसी मंत्री या अन्य सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य में किसी भूल या अशुद्धि की ओर ध्यान दिलाना चाहे, सभा में उस विषय का उल्लेख करने से पूर्व, अध्यक्ष को भूल या अशुद्धि का ब्यौरा लिखेगा और उस विषय को सभा में उठाने के लिए उसकी अनुमति मांगेगा।''

नियम तो यह है। इसलिए, इसमें व्यवस्था के प्रश्न वाली कोई बात नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वे आपके विनिर्णय को चुनौती दे रहे हैं?

श्री वसन्त साठे: मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ।

सभापति महोदय : साठे जी, इसके लिए भी अध्यक्ष की अनुमति की जरूरत है।

सभापति महोदय : साठे जी, क्या मैं यह मान लूं कि यह नियम गलत है?

सभापति महोदय : यह तो कोई तरीका नहीं हुआ।

सभापति महोदय : अब प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण समाप्त कर दिया है। अब आप में से कोई एक मेरी अनुमति लेकर बोल सकता है। आप सभी ऐसा नहीं कर सकते। हां, तो मि. साठे आप बोलें।

श्री वसन्त साठेः मैं पैरा 4 से पढ़ रहा हूँ:

''वर्ष 1988–89 में, अर्थव्यवस्था में तेजी आई है ....''

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या आप सभी अपने–अपने स्थानों पर बैठेंगे? शांत हो जाइए और एक–एक करके बोलिए।

श्री वसंत साठे : महोदया आपको उन पर नियंत्रण रखना होगा।

सभापति महोदय : अब आप चिल्ला क्यों रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री वसंत साठे : मैं वर्तमान आर्थिक स्थिति पर आर्थिक सलाहकार परिषद के उसी प्रतिवेदन को पढ़ रहा हूँ जिसका प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया था। पृष्ठ 1 पैरा 4 में कहा गया हैः

"वर्ष 1988–89 में अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष पूरे देश में सूखे से गिरावट के बाद काफी उछाल आया। सकल घरेलू उत्पादन में 9 प्रतिशत या वास्तविक में और अधिक की वृद्धि हुई है, कृषि उत्पादन में 20 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि हुई है और औद्योगिक उत्पादन में 8.8 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इस वर्ष यद्यपि मानसून की बारिश सामान्य रही है ऐसी संभावना नहीं है कि कृषि उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से ज्यादा होगा।''

इसलिए यह देखा जा सकता है कि कृषि उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

15. **श्री राजीव गांधी** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब वे बोल रहे थे तो मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा था।

श्री राजीव गांधी : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कहा है। इसे इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। मैं कोई बेकार का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। क्या मैं यह समझू कि आपके मन में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कुछ शंका है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं एक सुझाव दूंगा। इसमें न्याय और औचित्य की बात है। मैंने तो तीन घंटे कोई प्रश्न नहीं पूछा। मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता इस प्रश्न की नाजुकता

को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान को अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी है कि वह परमाणु बम नहीं बना रहा है।

एक माननीय सदस्य : आपके विचार क्या हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं।

अग्नि तथा हमारे प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के बारे में कोई समस्या नहीं है। यथाशक्ति मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

एक माननीय सदस्य : आपने अपनी आंखें बन्द कर ली हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम अपनी आंखें बन्द नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं आप मेरी भाषा नहीं समझे। हमारे प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के बारे में मेरा विचार है कि हमें कोई देश आदेश नहीं दे सकता है। इस देश की सुरक्षा के हित में जो कुछ भी करने की जरूरत होगी वही किया जाएगा।

श्री राजीव गांधी : आप इस बात को कुछ और स्पष्ट करो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं क्रियाशीलता के बिना कुछ नहीं कहता हूं। यही अंतर है। जब मैं कुछ विचार करता हूं तभी कार्य करता हूं। मैंने यह कहा है।

श्री राजीव गांधी : लेकिन सुस्पष्ट रूप से नहीं कहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं। हम अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे। आप क्या चाहते हैं? क्या अग्नि का कार्य पूरा हो गया है?

आग खत्म हो गई है।

हमें अपने भूतपूर्व सैनिकों को नहीं भूलना चाहिए।

कृपया शोर न करें।

सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। यह कोई तरीका नहीं है।

कृपया बेचैन न हों। उनको वैसा ही संयम बरतना चाहिए जैसा हमने तीन घंटे तक उनके व्यंग्य बाण को सहते हुए बरता था।

हमें अपने भूतपूर्व सैनिकों को भूलना नहीं चाहिए तथा हम एक पद एक पेंशन के अपने वादे को पूरा करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है।

16. **श्री राजीव गांधी** : मेरा विचार है कि आप एकदम बेजा बात कह रहे हैं। यदि आप मेरी टिप्पणियां पढ़ें तो आप पायेंगे कि मेरी टिप्पणियां सुस्पष्टता सुरक्षा के दृष्टिकोण तथा ठेका रद्द करने की लागत के बारे में हैं। लगभग 7-8 मुद्दे बनाए गए हैं। यह रिकॉर्ड अभी तक आपके कार्यालय में मौजूद है। वह मेरे पास उपलब्ध नहीं है। कृपया मेरी टिप्पणियों को इस सभा में पढ़कर सुनाए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, मैं उनको पढ़ूंगा। मैं कल आपकी टिप्पणियों सहित एक विस्तृत वक्तव्य दूंगा।

श्री रंगाराजन कुमार मंगलम : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अध्यक्षपीठ को यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि बोलते समय समाचार-पत्रों की खबरों का उल्लेख करना शिष्टाचार और नियमों के विरुद्ध है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विपक्ष के नेता न केवल समाचार पत्रों की खबरों का उल्लेख कर रहे थे बल्कि वे समाचार पत्रों पर व्यंग्य भी कर रहे थे। सारी सभा इसकी साक्षी है।

मैं जसवन्त सिंह जी द्वारा उठाए गए एक विशेष प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। उन्होंने एक विशेष प्रश्न पूछा है: क्या महान्यायवादी ने कोई सलाह दी थी? मैं उनके इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। निष्कर्ष रूप में वह इस प्रकार कहते हैं:

"मैं यह सूचित करता हूं कि उपरोक्त विषय में निर्णय लेते हुए सरकार निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करे:

(1) पृष्ठ 45 में ठेके की धारा 17(1) में यह सुस्पष्ट रूप से अनुबंध किया गया है कि यह ठेका भारत के कानूनों के अनुसार विनियमित और परिभाषित किया जाएगा। चूंकि बोफोर्स पूर्व शर्त के रूप में भारत सरकार के आग्रह को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर चुकी है कि वह ठेका प्राप्त करने के लिए बिचौलियों का प्रयोग नहीं करेगी, इस पूर्व शर्त को ठेका आरम्भ होते ही कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। इस पूर्व शर्त की, यद्यपि इस शर्त को सुस्पष्ट रूप से ठेके में लिखा नहीं गया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के अनुबंध (2) और (3) के अंतर्गत जांच की जा सकती है।"

श्री वसंत साठे : मैं नियम 368 के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री कौन सा दस्तावेज पढ़ रहे हैं क्योंकि यदि आप नियम देखें तो उसमें यह कहा गया है:

"यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण–पत्र या अन्य राजपत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा:

परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताएं कि उसका पेश किया जाना लोकहित के प्रतिकूल होगा:

परन्तु यह और भी कि जब मंत्री ऐसे प्रेषण–पत्र या राजपत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे तो संगत पत्रों को पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा।"

नियम 369 "पटल पर रखा गया पत्र या दस्तावेज, उसे उपस्थित करने वाले सदस्य द्वारा उचित प्रकार से प्रमाणित किया जाएगा।"

मैं जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय क्या पढ़ रहे हैं। यदि वह उन दस्तावेजों को पढ़ रहे हैं जो सरकारी फाइलों से आपके पास मौजूद हैं तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप उन्हें सभा पटल पर रखें।

श्री राजीव गांधी : मैं भी प्रधानमंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह बोफोर्स से संबंधित प्रधानमंत्री कार्यालय में उपलब्ध सभी दस्तावेजों को सभा पटल पर रखें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं जो दस्तावेज पढ़ रहा हूं वह इसका हिस्सा है।

सभापति महोदय : मैंने विपक्ष के नेता तथा श्री वसन्त साठे दोनों को ही अपने-अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी थी और तत्पश्चात् प्रधानमंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे। औचित्य यही है कि आप उत्तर को सुनें। अतएव आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह दस्तावेज रक्षा मंत्रालय की फाइल का एक हिस्सा है जिस पर महालेखापरीक्षक ने अपनी राय दे दी है। जैसा कि मेरे अधिकारियों ने बताया है, यह राय महालेखापरीक्षक ने दी है और यह इस बात का हिस्सा है।

श्री राजीव गांधी : महोदय, क्या आप प्रधानमंत्री कार्यालय की सभी फाइलें सभा पटल पर रखने को तैयार हैं?

सभापति महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी कहने दीजिए।

श्री वसंत साठे : क्या कृपया आप नियम 368 के अंतर्गत इन्हें सभा पटल पर रखेंगे अथवा नहीं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदया, प्रश्न पूछने के बाद मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : उनसे सवाल पूछे गए हैं अब वह उन सवालों का जवाब दे रहे हैं...।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, मैं दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं। जहां तक विपक्ष के नेता की बात का संबंध है प्रधानमंत्री के सभी नोट।

श्री राजीव गांधी : प्रधानमंत्री कार्यालय की सभी फाइलें, केवल नोट ही नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है। समस्या यह होगी मुझसे प्रश्न पूछा गया है परन्तु उसके बाद उत्तर देने का मौका नहीं दिया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहाँ तक इन फाइलों का सवाल है मैंने यह पाया कि एकत्र करके विभिन्न स्थानों पर वितरित कर दिया गया है। प्रधान सचिव को भी इन सब फाइलों की जानकारी नहीं है। कुछ फाइलें किसी व्यक्ति के पास हैं और कुछ फाइलें किसी और व्यक्ति के पास हैं। इसी कारण से सभी फाइलों को एकत्र करने तथा सही तस्वीर सामने लाने में समय लगा है।

श्री राजीव गांधी : हमारे पास एक भी फाइल नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे पता है कि आपके पास क्या है। यदि आप यह बताने में हमारी मदद करें कि आपने ये सब फाइलें कहां रखी हैं तो हमारे लिए उन्हें एकत्र करना आसान रहेगा।

महालेखापरीक्षक ने कहा है: "ऐसा पूर्व दृष्टान्त जिसे यद्यपि इस संविदा में स्पष्ट रूप से व्यक्त न किया गया हो, को साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 की उपधारा 2 और 3 के अंतर्गत सिद्ध किया जा सकता है।"

श्री वसन्त साठे : महोदय, आपने विनिर्णय नहीं दिया है। मेरे माननीय मित्र प्रधानमंत्री महोदय ने अभी यह नहीं बताया कि क्या वह नियम 368, 369 और 370 के अन्तर्गत उस दस्तावेज को सभा पटल पर रखेंगे जिसका वे उल्लेख कर रहे हैं।

17. **श्री राजीव गांधी** : क्या ऐसा कोई पृथक टिप्पण नहीं है जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से यह पूछा है कि संविदा को रद्द करने पर कितनी लागत आएगी, उस समय धन की सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए जमानत की राशि कितनी थी, जो पैसा हम भुगतान कर चुके हैं उसकी हानि के रूप में लागत होने की संविदा को यदि रद्द किया गया तो, तथा बदले में हम जो नया हथियार लाएंगे उसकी क्या लागत होगी? और यदि आप उस टिप्पण पर दृष्टिपात करें तो आपको पता चलेगा कि उसकी लागत उस 64 करोड़ रुपए से कहीं अधिक होगी जो आप वापस ले रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे पास सुन्दरजी का पत्र भी है, मैं उसे भी पढ़ सकता हूं।

श्री राजीव गांधी : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी फाइलों को सभा पटल पर रखें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इनको कल लाऊंगा। मैं इन्हें सभा पटल पर कल रखूंगा। कल ही, और अधिक देरी नहीं होगी।

18. श्री दिनेश सिंह : महोदय मेरा कहना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश कर रहे हैं और यह कहते हुए मुझे अत्यधिक खेद है। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह जेनेवा सम्मेलन में आयोग के समक्ष हमारे प्रतिनिधि द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़े तब उन्हें पता चलेगा विपो (डब्ल्यू.आई.पी.ओ.) के संबंध में न केवल हमारी अपितु दूसरों की स्थिति की ही रक्षा की गई अपितु यह भी एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि विकासशील देशों के विकासोन्मुख पहलुओं को भी बौद्धिक सम्पत्ति से संबंधित चर्चा करते समय ध्यान में रखा जाएगा। वास्तव में पेंटा डेल स्टेट में उनके कार्य निष्पादन पर हमारे नेता ने उनको साधुवाद दिया था, यह कहकर उनकी बात का खंडन करने पर मुझे खेद है कि पेंटा डेल स्टेट में यही हमारे दल के नेता थे जो इन चर्चाओं में बौद्धिक सम्पत्ति को शामिल करने के लिए सहमत हो गए थे जब उन्होंने सेवाओं को पृथक मंच पर रखा था तो उस समय उन्हें बौद्धिक संपत्ति को भी पृथक मंच पर रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस पृथक मंच पर नहीं रखा। तथा यह अनिवार्य बना दिया कि सामान्य प्रक्रियाओं के अन्तर्गत इस पर चर्चा भी उरूग्वे में ही हो। उन्होंने ही इसका अवमूल्यन करवाया था, हमारे नेता ने नहीं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि मैं इस मामले पर दस्तावेजों का हवाला दूं तो वस्तुत: श्री एल.के. झा ने, जो कि यहां नहीं हैं और जो आर्थिक सलाहकार थे उन्होंने यह दलील दी थी कि वह इस कार्य को तेजी से करें तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण से सहमत हों। इसी कारण हम इस दृष्टिकोण से बाहर नहीं निकल पाए तथा हमें यह शर्त माननी पड़ी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब दल की बात की जाए जिसके बारे में विपक्ष के नेता ने कहा था "पेटा डेल स्टे में जिस दल ने बहुत अच्छा काम किया है तथा वहां उस दल के अधिकारियों पर मुझे गर्व है।" पर कृपया आप इस बात पर ध्यान दिलाएंगे कि इसके बाद इनका स्थानांतरण कहां किया गया? बाहरी दवाब के कारण उन्हें हटाया गया था क्योंकि उन्होंने दबाव का प्रतिरोध किया था। मैं उन बातों को यहां कहना नहीं चाहता। अब वह हबर्ड को सामने ले आए हैं। यह हबर्ड कौन है, मैं नहीं जानता। मुझे बताया गया कि वह भूतपूर्व राजदूत हैं तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में रहते हैं। मैंने अभी तक उनका चेहरा तक नहीं देखा है। मैं नहीं जानता कि वे और क्या-क्या सामने लाने वाले हैं। परन्तु आप जानते हैं कि वह कह रहे थे कि पिछले प्रधानमंत्री इतनी बड़ी-बड़ी बातें चुनावी हथकण्डे के रूप में कर रहे थे। ठीक है।

श्री राजीव गांधी : जो कुछ भी उन्होंने कहा था, क्या आपने उसका खण्डन किया?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है, मैंने पहले ही खण्डन कर दिया है। इसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम इसका प्रतिरोध करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, क्या बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार के बारे में जो यह किया गया है क्या उसे यह सरकार ठीक नहीं कर सकती?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम इसका संरक्षण करने, इसकी रक्षा करने का, यथासंभव पूरा प्रयास करेंगे। जो उन्होंने किया है हम उसे ठीक करेंगे।

पनामा के सम्बन्ध में हमने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हम उस पर दृढ़ हैं। परन्तु आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि जब विपक्ष के नेता सरकार में थे तथा उस समय लीबिया के हमले के सम्बन्ध में उन्होंने कड़ा रुख नहीं अपनाया और उन्होंने इसकी भर्त्सना नहीं की। क्या आपने "भर्त्सना" शब्द का प्रयोग किया? उन्होंने ऐसा नहीं किया।

श्री राजीव गांधी : हमने भर्त्सना की थी। हमने दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में हमने बहुत कड़ा वक्तव्य दिया था। यह उसी दिन की बात है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब ग्रेनाडा पर संयुक्त राज्य का हमला हुआ उस समय आपने किन शब्दों का प्रयोग किया था। आपने कहा था, "भारत इस पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है"। यह मामला समाप्त हो गया तथा ग्रेनाडा का मामला भी अधर में पड़ गया। खेद प्रकट

करने जैसे शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया तथा "गम्भीर भर्त्सना" का भी प्रयोग नहीं किया गया। कोई "भर्त्सना" नहीं हुई। अत: यहां बोल कर आप अपनी दूसरी छवि दर्शाने की कोशिश न करें।

श्री राजीव गांधी : लीबिया को भी पढ़िए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह भी पढ़ देंगे ज्यादा देर नहीं है। बहुत कुछ पढ़ेंगे।

अब विदेश नीति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं एक-एक बात का उत्तर दूंगा क्योंकि हर बात यहां उठाई गई है – विदेश नीति, पंजाब, नेपाल तथा अन्य सब मेरे पास 11 बजे तक का समय है।

19. **श्री राजीव गांधी** : आपने जो रुख अपनाया है उसके बावजूद लीबिया के सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य के बारे में मैंने बहुत लम्बा स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपने इसकी भर्त्सना नहीं की।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : लीबिया पर अमरीका के आक्रमण की जोरदार भर्त्सना करने के कारण श्री बी. आर. भगत को हटा दिया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उनको चुप कर दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लीबिया पर संयुक्त राज्य के हमले सम्बन्धी अपने वक्तव्य के कारण उन्हें अपना पद खोना पड़ा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्हें उस वक्तव्य की कीमत चुकानी पड़ी।

20. **श्री एम. आर. जनार्दनन** (तिरुनेलवेली) : वहां तमिल सुरक्षित नहीं हैं। हमें परेशानी हो रही है, हमारे आदमी मारे जा रहे हैं। आपने इस बारे में क्या किया है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे तमिलों की चिन्ता है। पिछली सरकार जो अब विपक्ष में बैठी है, के दौरान दोनों ओर से तमिलों की जानें गई हैं।

श्री एम. आर. जनार्दनन : दो सप्ताह से अधिक समय से शरणार्थी आ रहे हैं।

21. **एक माननीय सदस्य** : तिब्बत के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : तिब्बत चीन का स्वायत्तशासी क्षेत्र है। यह हमारा मत है।

श्री राजीव गांधी : इस बारे में आपके रेल मंत्री जी का क्या विचार है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब मैं कह रहा हूं तो मैं पूरी सरकार की ओर से बोल रहा हूं।

22. **श्री राजीव गांधी** : अपहरण की घटनाओं के बारे में आपको क्या कहना है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या कहा है। गृहमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने डॉ. रूबिया के पिता के रूप में बहुत साहस दिखाया है। जब उनके कर्तव्य का समय आया, तो उन्होंने अपने कर्तव्य के साथ समझौता नहीं किया। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं।

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है और जिसे मैंने सुनी-सुनाई बात कहा है और जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं था, उसका आपने खण्डन नहीं किया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महान संत के जो शब्द माननीय प्रतिपक्षी नेता तीन घंटे से कहे जा रहे हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखना बहुत कठिन है अब उन्होंने जो कुछ कहा है उसके लिए मुझे इस दस्तावेज को पढ़ना पड़ेगा।

23. **श्री वसंत साठे** : और गुरुद्वारों में हथियार एकत्र नहीं करने दिए जाएंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो भी ऐसी बातें हैं, मन्दिरों अथवा धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग के बारे में भी यह बात है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इससे अधिक आपने कोई और पहल ही नहीं की।

श्री वसंत साठे : आप कीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, हम पहल करेंगे। उस खाई को पाटने के लिए जिसके बारे में आडवानी जी तथा सोमनाथ जी ने कहा है, यह नई पहल शुरू हुई है हमें इसे प्रशासन के जिम्मे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। हम लोगों के पास जायेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तथा विश्वास बनाने की कोशिश करेंगे। हम पुन: जायेंगे और इस विश्वास को बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अन्य तरीके भी हैं–मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई, 59वां संविधान संशोधन तथा अन्य मामलों पर कार्रवाई। ये सब उपाय इसी प्रक्रिया के हिस्से हैं।

श्री वसंत साठे : लोक सभा के अंदर तलवार तो नहीं लाने देंगे?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कुछ को तलवार से खतरा होता है, कुछ को नहीं होता है। आपके समय में ही जब सारे कॉरीडोर में बंदूक लिए यहां घेरे रहते थे तब आपको डर नहीं लगता था। यह तो चेयर की बात है। चेयर जो कहेगा वह होगा, हम हाउस के थोड़े ही मालिक हैं।

24. **श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा)** : मैं अध्यक्ष पीठ तथा प्रधानमंत्री की अनुमति से यह पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं के बारे में आपको कम से कम कुछ कहना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरा विचार है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित हैं तथा यह हमारी विकास नीति का एक हिस्सा हैं। उनको विभागों में हिस्सा दिया जाना चाहिए तथा महिलाओं के लिए जो नौकरियां उपयुक्त हैं उनमें इनको जगह दी जानी चाहिए। यह हमारी नीति का एक हिस्सा है। मैं एक और बात जनसंख्या वृद्धि के बारे में कहना चाहता हूं, इस विषय पर कुछ नहीं कहा गया है, मेरा विचार है कि यदि हमें जनसंख्या

वृद्धि की समस्या से निपटना है तो महिलाओं को शिक्षित करना सबसे आवश्यक है तथा यदि हम इसको नौकरियों के साथ जोड़ देते हैं, तो इससे उनकी शिक्षा को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा मिलता है।

एक माननीय सदस्य : आरक्षण के बारे में आपका क्या विचार है? आप अपनी नीति स्पष्ट करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम इसे पारित करा सकते हैं। इसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन प्रक्रिया संबंधी कुछ आपत्तियां हैं। लेकिन इसके बावजूद अ.जा., अ.ज.जा. के लिए आरक्षण संबंधी एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है। मेरा विचार है कि यदि हम यहां जो कुछ करते हैं उसकी जांच करनी है, तो हमें सबसे निचले स्तर के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए तथा उनके सामाजिक स्तर को ध्यान में रखकर इस बात की जांच करनी चाहिए कि हम इस सभा में जो कुछ कर रहे हैं उससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरा विचार है कि हम जो कुछ यहां करते हैं यह उसकी अग्नि परीक्षा है।

बोफोर्स मामले के बारे में वक्तव्य

29 दिसम्बर 1989

हम बोफोर्स के मामले पर सभा को विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने बोफोर्स को भविष्य में ठेका देने पर रोक लगाने का निर्णय किया है और वर्तमान ठेके की पुनरीक्षा करने का भी निर्णय किया है। उस संदर्भ में, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि किस पृष्ठभूमि में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।

अप्रैल, 1987 में जब से यह खबर फैली कि 155 मि. मी. तोप के बारे में भारत सरकार के साथ हुए करार में स्विस बैंक के गुप्त खातों में बोफोर्स द्वारा कमीशन के रूप में भारी रकम दी गई है तब से पूरा राष्ट्र सारे तथ्य जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक है। भारत सरकार ने तत्काल एक वक्तव्य दिया कि समाचार-पत्रों में छपी खबर गलत, निराधार और शरारतपूर्ण थी। तत्कालीन सरकार ने यह भी कहा कि समझौता करने के दौरान "सरकार ने स्पष्ट किया था कि उक्त कम्पनी करार के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई धनराशि नहीं देगी"। बहुत सारे लोगों को यह विश्वास हो गया कि सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई करेगी, क्योंकि वक्तव्य में यह भी आश्वासन दिया गया था कि "यदि कोई व्यक्ति इस नीति का उल्लंघन करेगा तो उसके साथ अत्यधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी"।

अप्रैल, 1987 में ही कुछ दिन बाद, तत्कालीन रक्षा मंत्री ने संसद में वक्तव्य दिया कि भारत सरकार विदेशी सप्लाइकर्त्ताओं के लिए काम कर रहे भारतीय एजेंटों की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं करती है और रक्षा सचिव ने करार के लिए बोली बोलने वाली कम्पनियों को यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि भारत सरकार के ध्यान में यह बात आती है कि किसी विदेशी फर्म ने किसी एजेंट की नियुक्ति की है तो सरकार उस फर्म को ठेका लेने से वंचित कर देगी।

स्वीडन नेशनल ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट सरकार को जून, 1987 में प्राप्त हुई थी। हालांकि उस रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण भाग स्वीडन सरकार ने भारत सरकार को नहीं दिया था, फिर भी यह स्पष्ट रूप से साबित होता था कि उक्त भारतीय करार के संबंध में बोफोर्स ने कई व्यक्तियों को बहुत बड़ी मात्रा में धन दिया है। इसने तत्कालीन सरकार के उन आरोपों का खण्डन कर दिया जिसमें सरकार ने पहले कहा था कि प्रचार माध्यमों द्वारा प्रसारित समाचार झूठे और निराधार थे।

रिकॉर्ड से पता चलता है कि स्वीडन नेशनल ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट मिलने पर एक हलचल मच गई थी। तत्कालीन सरकार ने तत्काल यह निर्णय लिया कि सारे मामले की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री, श्री अरुण सिंह

ने 10 जून, 1987 को एक "नोट" लिखा था, जिसे मैं उसी रूप में पूरा उद्धृत करना चाहूंगा। वह नोट इस प्रकार है:

"4 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में हमें सूचित किया गया था कि स्वीडन सरकार ने 'बोफोर्स' मामले के संबंध में अपने नेशनल ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि हमारी सरकार को भेज दी है और स्वीडन सरकार उस दस्तावेज को जनसाधारण को दिखाना चाहती है। इस आधार पर राजनीतिक मामलों की संसदीय समिति में, मंत्रिमण्डलीय समिति में और विपक्षी नेताओं के साथ कई बार विचार-विमर्श हुआ तथा भारत सरकार ने अपना यह निर्णय घोषित किया कि वह स्वीडन सरकार के निष्कर्षों आदि की जांच करने के लिए, एक संसदीय समिति गठित करेगी। उसके बाद हमारे साथ और कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ और न कोई घोषणा ही की गई, सारांश में स्वीडन सरकार ने निम्नलिखित तथ्यों की पुष्टि की है:

(क) भारत में एनाट्रोनिक जनरल कॉरपोरेशन को 100000 एस. ए. के. प्रतिमाह की अदायगी।

(ख) नवम्बर/दिसम्बर 1986 में स्विटजरलैंड में एक खाते में 3 करोड़ 15 लाख एस. ए. के. की अदायगी पाने वाले का नाम नहीं बताया गया है। किन्तु वह 'लोटस' हो सकता है। (वह जो भी हो?)

(ग) 'समापन' (बाइंडिग-अप) प्रभारों के रूप में 'अन्यों' के करीब 1 करोड़ 75 लाख से 2 करोड़ 50 लाख एस. ए. के. के मध्य में अदायगी।"

राज्य सभा में बहस का उत्तर देते हुए मैंने निम्नलिखित आधारभूत तथ्यों का उल्लेख किया था:

"(क) भारत सरकार की नीति थी कि इस करार के संबंध में कमीशन के रूप में किसी भी व्यक्ति को कोई अदायगी न की जाए।

(ख) यह नीति उक्त कम्पनी (बोफोर्स) और स्वीडन सरकार दोनों को सूचित कर दी गई थी।

(ग) यह नीति उन दोनों पक्षों को ज्ञात थी और उन्होंने उसको समझने की पुष्टि की सूचना हमें भेज दी थी।

(घ) अत: यदि कोई अदायगी की गई, तो उस अदायगी में कुछ गड़बड़ अवश्य है।"

"इस तर्क को और आगे बढ़ाते हुए मैं तब यह कहता गया कि हम सरकार के रूप में इस तथ्य का पता लगाने के लिए बहुत इच्छुक हैं कि क्या कुछ भुगतान किया गया है, इसका उल्लेख करें"। यदि हमें पता चलता है कि कुछ भुगतान किया गया है तो हम निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न पर कार्रवाई करेंगे: "क्या भुगतान किया गया? कब भुगतान किया गया? कहां भुगतान किया गया? कैसे भुगतान किया गया? किसको भुगतान किया गया? और क्यों किया गया?" मैं यह समझता हूं कि नेशनल ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से बात की पुष्टि की है कि भुगतान किए गए हैं और मैं राज्य सभा में दिए अपने वक्तव्य पर कायम हूं कि इस तरह के किए गए भुगतान भारत सरकार की सभी कथित नीति का

भारी उल्लंघन करते हैं जैसा कि बोफोर्स और स्वीडन सरकार—दोनों को सूचित किया गया था और दोनों ने ही इसे स्वीकार कर लिया। अत: इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार के रूप में हमें उन प्रश्नों के रूप में जिन्हें बहस का उत्तर देते हुए मैंने स्वयं अपने उत्तर में उठाया था कि हमें इस मामले को सही परिणाम निकालने तक जारी रखना चाहिए। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने रक्षा विभाग के अधिकारियों से दो पत्रों का मसौदा तैयार करने के लिए कहा है—एक बोफोर्स के लिए दूसरा स्वीडन सरकार के लिए। इन दोनों पत्रों में हम अपने प्रश्नों के उत्तर मांग रहे हैं। मैं सिफारिश करता हूं कि हम इन पत्रों को स्वीडन में अपने राजदूत के पास भेज दें ताकि वह इन पत्रों को उन्हें सौंप दें। अपने राजदूत से कहा जाए कि वह स्वीडन सरकार और कम्पनी—दोनों को सूचित कर दें कि जब तक वे हमें मांगी हुई सूचना नहीं देंगे तब तक एफ एच 77 बी 155 मि.मी. होविट्जरों का करार रद्द करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होगा।

"मैं इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत हूं कि इस करार को रद्द कर देने से हमारी रक्षा तैयारी पर इसका कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा लेकिन आप थल सेनाध्यक्ष से पुन: इस बात की पुष्टि करना चाहेंगे कि क्या हम इन तोपों के बिना काम चला सकते हैं। मेरे विचार से हमें इस करार को रद्द करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि सरकार के रूप में हमारी विश्वसनीयता खतरे में है और इससे भी खराब बात यह है कि रक्षा सम्बन्धी सामान की समस्त खरीद प्रक्रिया की विश्वसनीयता भी खतरे में है।"

"मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा यदि आप इस नोट और प्रारूप-पत्रों को देखने के बाद प्रधानमंत्री महोदय को भेज देंगे।"

श्री अरुण सिंह ने यह नोट तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया था कि यह नोट तथा बोफोर्स और स्वीडन सरकार को भेजे जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप-पत्र प्रधानमंत्री को भेज दिए जाएं। श्री पन्त ने सहमति व्यक्त करते हुए इस नोट पर 11 जून, 1987 को हस्ताक्षर करके इसे पूर्व प्रधानमंत्री के पास भेज दिया।

उक्त नोट पर पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अभिलिखित टिप्पणी इस प्रकार है:

"खेद की बात है कि सभी पहलुओं का मूल्यांकन किए बिना ही रक्षा राज्य मंत्री/अपर सचिव ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय सुरक्षा से अधिक महत्व दिया है। वे मेरे पूरे सहयोग से रक्षा संबंधी लगभग समस्त कार्रवाई स्वयं करते रहे हैं, अत: मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं परन्तु यह कोई युक्तिसंगत कारण नहीं है। जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता किया जा सके। क्या उन्होंने वस्तुस्थिति और सुरक्षा का मूल्यांकन किया है? क्या उन्होंने सौदे को रद्द करने से होने वाली वित्तीय हानि का मूल्यांकन किया है? क्या उन्होंने बोफोर्स द्वारा किसी स्थिति में करार का उल्लंघन किए जाने की मात्रा का मूल्यांकन किया है? यदि हम एकतरफा करार रद्द कर देते हैं, तो क्या उन्होंने हमारी समस्त भावी रक्षा खरीदों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है? क्या उन्होंने यह सोचा है कि भविष्य में इस क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी निर्माता हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? क्या उन्होंने यह सोचा है कि यदि हम ऐसे करार को एकतरफा रद्द कर देते हैं जिसकी शर्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो भारत सरकार की गरिमा कितनी गिर जाएगी? जहां तक मैं समझता हूं स्वीडन

की लेखापरीक्षा रिपोर्ट से भारत सरकार की स्थिति को बल मिलता है और इससे भारत सरकार की स्थिति पर कोई आंच नहीं आती। हमें मामले की तह तक पहुंचकर यह पता लगाने की जरूरत है कि वास्तव में क्या हो रहा है और इसमें कौन-कौन शामिल हैं। घबराहट या जल्दबाजी में किए जाने वाले कार्यों का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षा राज्य मंत्री ने मंत्रालय को सुचारू रूप से चलाया है परन्तु आतंकित होने का कोई कारण नहीं है, विशेषरूप से ऐसे मामलों में जब अन्त:करण साफ हो।"

खेद है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 15 जून, 1987 को लिखी गई यह टिप्पणी रक्षा मंत्रालय में 21 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुई जबकि श्री अरुण सिंह कुछ दिन पहले अपने पद से त्यागपत्र दे चुके थे। परंतु इस बीच स्वीडन सरकार को पत्र भेज दिए गए थे। रक्षा मंत्रालय ने 16 जून, 1987 को बोफोर्स को एक कड़ा विरोध-पत्र लिखा जिसमें उन पर करार का उल्लंघन करने और निष्ठापूर्वक दिए गए उस आश्वासन को तोड़ने का आरोप लगाया कि उनके द्वारा कोई एजेंट अथवा बिचौलिया नियुक्त नहीं किया जाएगा। उक्त पत्र में कम्पनी से इन भुगतानों के संबंध में पूरी और विस्तृत जानकारी की मांग भी की है।

जून 1987 के अन्त में मंत्रालय ने भी भारत के महान्यायवादी से उनकी राय मांगी थी। 4 जुलाई, 1987 को प्राप्त हुई महान्यायवादी की राय में—मैं उस राय को सभा पटल पर रख रहा हूं—उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि "यदि ए.बी. बोफोर्स ने किसी भारतीय एजेंट को नियुक्त किया है तो यह करार से पहले की शर्त के विरुद्ध है और भारत सरकार के पास यह विकल्प है कि या तो वे इसे करार का उल्लंघन समझें और उन पर इस क्षति के लिए मुकदमा चलाए या फिर करार को जारी रखकर उन पर वारण्टी के उल्लंघन का मुकदमा करें। उनका यह भी कहना था कि कोई और अदायगी ऐसी नहीं हो सकती जिसे वे किसी अन्य तथा कथित एजेंसी करार को समाप्त करने के लिए देते क्योंकि उन्होंने 10,000 एस. ए. के. की प्रतिमाह अदायगी पर सर्विस करार के सिवाय भारत सरकार को इस प्रकार की कोई बात नहीं बताई थी।

महान्यायवादी ने यह मत भी व्यक्त किया कि "बोफोर्स को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि कम्पनी को मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्तर की गोपनीयता बरतनी है, विशेषरूप से रक्षा क्षेत्र में" उन्होंने कहा कि मामला यदि विवाचन अथवा न्यायालय में जाता है तो इस विषय में भारत का कानून लागू होगा और बोफोर्स "कथित बिचौलियों और उनको की गई अदायगियों के संबंध में ब्यौरे प्रकट करने को बाध्य होगी"। महान्यायवादी ने सलाह देते हुए आगे कहा कि "सरकार को दृढ़ नीति अपनानी चाहिए और बोफोर्स द्वारा करार से पूर्व की शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए चाहे बोफोर्स को यह धमकी देनी पड़े कि उनका करार समाप्त किया जा सकता है"। साथ ही, महान्यायवादी ने यह स्पष्ट किया कि "करार रद्द करने की स्थिति में विवाचन के माध्यम से मुकदमा अवश्यंभावी है। हालांकि भारत सरकार का पक्ष मजबूत है परन्तु मुकदमे अथवा विवाचन के परिणाम के बारे में पहले से कुछ भी कहा नहीं जा सकता"। उन्होंने बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार को तोपों की खरीद के लिए कोई और व्यवस्था करनी पड़ सकती है। परन्तु "यदि बोफोर्स ब्यौरे प्रकट न करने के अपने रवैये को जारी रखती है तो सरकार के पास सख्त कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा"।

उसके बाद जून-जुलाई, 1987 में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल सुन्दरजी ने अपनी दो टिप्पणियों में कुछ सिफारिश की थीं। उनकी 15 जुलाई, 1987 की टिप्पणी, जो 14 जून को रिकॉर्ड की गई टिप्पणी जैसी ही है, इस प्रकार है:

"आज सुबह रक्षा राज्य मंत्री (अ) के कार्यालय में हुई चर्चा के संदर्भ में। सामरिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, इस बारे में मेरे विचार अगले परिच्छेदों में दिए गए हैं।"

"यह आवश्यक है कि सौदे के बारे में बोफोर्स या उसके एजेंटों ने विभिन्न व्यक्तियों को जो पैसा दिया है, उसके बारे में हमें पूरी सूचना प्राप्त करनी चाहिए। वे यह सूचना हमें तत्काल दे सकते हैं और यदि वे ऐसा न करें तो हमें उन्हें उनके साथ किए गए करार को रद्द करने की धमकी देनी चाहिए।"

"बोफोर्स ने इस करार के संबंध में काफी बड़ी धनराशि लगाई हुई है, बड़ी संख्या में इस काम पर कर्मचारियों को लगाया हुआ है और उप-ठेकेदारों को नियुक्त किया हुआ है। इस करार को रद्द करने की धमकी से उनको काफी धक्का लगेगा, जिससे वे यह महसूस करेंगे कि उनके पास हमें पूरी सूचना दिए जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।"

"अगर इस धमकी का भी कुछ फायदा न हुआ और ज्यादा-से-ज्यादा इससे उनके साथ किया गया करार रद्द हो सकता है, मेरा विश्वास है कि 155 मि.मी. तोपों को प्राप्त करने में लगभग 18 महीने से दो वर्ष तक की देरी हो सकती है। मेरा यह विश्वास है कि इतनी देरी होने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और हम इस प्रकार का खतरा उठा सकते है। हमारी फील्ड फार्मेशनों की मदद के लिए महत्वपूर्ण तोपखाने में इस तोप की कमी को पूरा करने के लिए उससे बहुत मिलती-जुलती तोप प्राप्त करने के लिए हमें फ्रांस और ब्रिटेन के साथ शीघ्रातिशीघ्र बातचीत शुरू करनी चाहिए। अगर हम फ्रांस और ब्रिटेन दोनों से बातचीत शुरू कर देंगे तो पहले वाला अपनी कीमतों को नहीं बढ़ा पाएगा।"

"संक्षेप में, मैं यह सिफारिश करता हूं कि इस मामले में खोए हुए राष्ट्रीय सम्मान को पुन: प्राप्त करने के लिए हमें बोफोर्स पर पूरा दबाव डालना चाहिए, ताकि वे हमें वह सूचना दे सकें जो इस मामले में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक हैं और यह खतरा ले लेना चाहिए, भले ही ज्यादा-ही-ज्यादा उनके साथ किया गया करार रद्द ही क्यों न हो जाए।"

बोफोर्स ने सितम्बर, 1987 में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान सबसे पहला महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन किया था। तब यह बात सामने आई थी कि 31.9 करोड़ क्रोनर्स, जो तब की विनिमय दरों के आधार पर 64 करोड़ रुपए के बराबर थी, से भी अधिक राशि बोफोर्स ने तीन कम्पनियों को अदा की थी, जिनके नाम हैं—स्वेन्सका, ए. ई. सर्विसिज़ और पिटको-मोरेस्को-मोईनो। यद्यपि बातचीत का यह रिकॉर्ड विभिन्न समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है, इस रिकॉर्ड में दिए गए कुछ तथ्यों पर ध्यान देना उपयोगी था। बोफोर्स ने ब्यौरा देते हुए यह स्वीकार किया कि मोरेस्को के मामले में जो अदायगी की गई, वह ऐसे अकाउन्ट में की गई, जिसका कोड नाम लोटस था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मोरेस्को को छोड़कर शेष अदायगी सामान्य बैंकों के माध्यम से की गई। यह उल्लेखनीय है कि मोरेस्को को बैंक के माध्यम से अदायगी नहीं की गई। प्रत्यक्षत: यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो इन अनियमित अदायगियों के गुप्त तरीकों की ओर संकेत करता है।

रिकॉर्ड के आधार पर जो तथ्य मेरे सामने आए हैं, उनसे कुछ निश्चित निष्कर्ष निकलते हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं:

(एक) बोफोर्स ने करार का उल्लंघन किया और भारतीय करार के संबंध में एजेंटों या बिचौलियों का उपयोग न करने के बारे में उन्होंने जो पक्का आश्वासन दिया था, उसे तोड़ा। जून, 1987 में रक्षा सचिव, रक्षा राज्य मंत्री श्री अरुण सिंह और रक्षा मंत्री श्री के. सी. पन्त ने इस निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया। भारत के महान्यायवादी ने भी 4 जुलाई, 1987 को इस बारे में अपनी यही राय दी थी।

(दो) यह भी सिद्ध हो गया था कि बोफोर्स ने भारतीय करार के संबंध में बहुत बड़ी धनराशि अदा की थी और नवम्बर, 1985 में ए. ई. सर्विसिज नामक एक कम्पनी के साथ एक करार किया था, जबकि उससे काफी पहले मई, 1985 में उन्हें भारत सरकार की नीति स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी थी। यह तो स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद उन्होंने यह सूचना देना स्वीकार नहीं किया।

(तीन) रिकॉर्ड में कानूनी राय उपलब्ध है, जिसमें यह स्पष्ट है कि अगर कम्पनियां गलत काम करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ ही सरकार कमीशन लेने वालों के नाम जानने और उनको अदा की गई राशि वापिस लेने की अधिकारी है।

रिकॉर्ड में यह स्पष्ट है कि उस समय अधिकारी और मंत्री, सभी का यह विचार था कि इन तथ्यों के आधार पर बोफोर्स के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। कानूनी राय भी यही थी। वस्तुत: महान्यायवादी ने भी यही विचार दिए थे कि अगर बोफोर्स की गोपनीयता रखने वाली बात को मान भी लिया जाए, तो मैं उनकी बात उद्धृत करता हूं—"वे उस शर्त का उल्लंघन कर सकते है, जिस पर कि भारत सरकार ने जोर दिया था और उन्होंने भी यह स्वीकार किया था कि इस करार में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। वे किसी दण्डाभाव के, किसी बिचौलिए के साथ करार कर सकते हैं और गोपनीयता के बहाने तथ्यों को देने से इन्कार कर सकते हैं। यह सही स्थिति नहीं हो सकती है।

दूसरे शब्दों में, शर्त अपने आप में बेमानी हो जाती है अगर उन्हें दण्डाभाव के साथ यह इजाजत दी जाती है कि वे ब्यौरा न दें।

इन तथ्यों के आधार पर और रक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध विचारों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार का यह निर्णय लेना स्वाभाविक है कि बोफोर्स के साथ भविष्य में कोई करार न किया जाए।

वर्तमान करारों के संबंध में इस बात को मानना महत्वपूर्ण है कि 1987 में जो स्थिति थी, उसमें करार को रद्द करने या करार को रद्द करने की धमकी देना बहुत असरदार होता। 1987 के मध्य में करार की पूर्ति अपनी प्रारम्भिक अवस्था में थी और उसे रद्द करने से सप्लायर के कार्य-व्यापार को वस्तुत: काफी नुकसान हो सकता था। इसके फलस्वरूप रोजगार के मामले में जो नुकसान होता, उससे न केवल बोफोर्स के लिए गम्भीर स्थिति पैदा हो जाती बल्कि अन्यत्र भी इसका असर पड़ता। दो करारों में से अर्थात् पूर्ति करार और भारत में लाइसेंस पर उत्पादन के लिए लाइसेंस करार में से पूर्ति करार लगभग पूरा हो चुका है और कम्पनी ने अधिकांश वह धनराशि प्राप्त कर ली है, जो उसे देय थी।

लाइसेंस करार को कार्यान्वित करने के लिए प्रारम्भिक कार्य लगभग अन्तिम चरण में है, लेकिन उसका कार्यान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ है। इन करारों से संबंधित सभी आवश्यक पहलुओं पर हमें अब फिर से विचार करना है।

अब तक जो जांच-पड़ताल की गई है, उससे जनता में विश्वास पैदा करने में असफलता मिली है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नवम्बर, 1988 में एक प्रारम्भिक जांच-कार्य शुरू किया और वह भी आय कर से बचने और आय को छिपाने के बारे में है। स्वीडन में स्टॉकहोम के पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने इस मामले की जांच-पड़ताल शुरू की थी और सितम्बर, 1987 में इन्टरपोल के माध्यम से सहायता की मांग की थी। इस अनुरोध पर 1 अक्तूबर, 1987 को गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई एक बैठक में विचार किया गया, जिसमें गृह राज्य मंत्री श्री चिदम्बरम, प्रधानमंत्री के कार्यालय के विशेष सचिव (ए) और रक्षा सचिव ने भाग लिया और यह निर्णय लिया गया कि इस अनुरोध को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया जाए। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और स्टॉकहोम, स्वीडन में पब्लिक प्रॉसीक्यूटर को कोई सहयोग नहीं दिया गया।

संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इस मामले में किए गए काम का जहां तक संबंध है, जिसमें प्रतिपक्षी दलों ने भाग लेने से इन्कार किया था, मैं इसे यहां फिर से नहीं दोहराना चाहूंगा। अप्रैल, 1987 में पहले पहल यह आरोप लगाया गया था। तब से काफी समय बीत गया है और जिनका इस मामले में हाथ था, उन्हें अपने आपको बचाने के लिए काफी समय और मौका मिल गया था। यह वह स्थिति है, जो हमें पिछली सरकार से प्राप्त हुई है।

हमारा पहला काम यह था कि सम्बन्धित रिकॉर्ड की तेजी से जांच की जाए और वर्तमान स्थिति का फिर से जायजा लिया जाए, ताकि इस मामले में जांच-पड़ताल करने के लिए जो आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें तेज किया जा सके। हमने यह भी आदेश जारी किए है कि बोफोर्स के साथ भविष्य में कोई करार न किया जाए—जैसाकि मैंने पहले कहा है। इससे कम्पनी को यह मालूम हो जाएगा कि हमने इस बात को गम्भीरता से लिया है।

निष्कर्ष के रूप में मैं इस सरकार का यह संकल्प दोहराना चाहूंगा कि कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और बिचौलियों को जो पैसा दिया गया है, उसे वसूल किया जाएगा तथा कमीशन लेने वालों का पता लगाया जाएगा। इस मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर इस प्रकार की करार शर्तों का उल्लंघन करने पर कोई कार्रवाई न की गई तो भविष्य में ऐसे करारों को करने वाले पक्षों को इस प्रकार की शर्तों का उल्लंघन करने से नहीं रोका जा सकेगा। हमने जांच-पड़ताल करने वाली एजेंसियों को यह निर्देश दिया है कि वे कानून के अनुसार जांच-पड़ताल और खोजबीन का काम जारी रखें। सरकारी स्तर पर सारे मामले की समीक्षा की जा रही है और बहुत जल्दी भारत और स्विट्जरलैण्ड के मध्य पारस्परिक सहयोग से संबंधित ज्ञापन के अनुसार स्विस प्राधिकारियों के साथ और राजनयिक स्रोतों के माध्यम से विदेशी सरकारों के साथ इस मामले को उठाया जाएगा। मैं सदन को यह

आश्वासन देता हूं कि इस मामले में अन्तिम निष्कर्ष निकलने तक जांच-पड़ताल जारी रखी जाएगी और संसद को तथा जनता को इस बारे में जो भी प्रगति होगी, उसकी जानकारी बराबर दी जाती रहेगी।

पश्च टिप्पण

II. बोफोर्स मामले के बारे में वक्तव्य, 29 दिसम्बर 1989

कोई टिप्पण नहीं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर

16 मार्च, 1990

माननीय सदस्यों ने इस बहस में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। अगर उन्होंने कोई तीखी बात भी कही है तो मैं समझता हूं कि विचारों को तराशने के लिए किया है और तराशने पर कुछ चमक आ जाती है अगर उसमें कुछ तथ्य हों। एक बात, माननीय गाडगिल साहब हैं नहीं आज यहां।

*** *** ***[1]

मैंने विरोधी दल के नेता के बारे में नहीं कहा था, मैंने तो गाडगिल जी के बारे में कहा था। वह यहां नहीं हैं क्योंकि उन्होंने डिबेट में काफी विस्तार से शिरकत की थी। मैंने एक तो गाडगिल जी के बारे में कहा था कि वह यहां नहीं हैं। भजन लाल जी या आप लोगों ने कहा कि आप जो बात कहेंगे, उसे उन तक पहुंचा देंगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि मैं अपनी बात गाडगिल जी के पास पहुंचाना चाहता हूं। वह यहां नहीं हैं। आपने कृपा की कि मेरी बात वहां तक पहुंचा देंगे। मेरे और गाडगिल जी के बीच में आप हैं इसलिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सदन में तो हम लोग आपके माध्यम के द्वारा बात बताते हैं, इतने गौरव के स्थान पर आपके माध्यम के द्वारा बात बताते हैं।

*** *** ***[2]

अब अध्यक्ष जी का आदेश हो गया। आगे चलें, ऐसी क्या बात है। अध्यक्ष जी की तो मानिए।

गाडगिल जी ने कहा कि, खासकर मेरा हवाला देते हुए कहा, बहुत कमजोर हैं, मान्यवर, मैं मानता हूं कि मैं एक अदना आदमी बहुत कमजोर हूं लेकिन इसी अदना आदमी से 'कमजोर आदमी से' साढ़े तीन साल तक सारे जोर से लड़ते रहे और उसका नतीजा तीन साल के इस कमजोर आदमी की लड़ाई से है कि हमारे साथी इधर हैं, आप उधर हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरी कमजोरी से भी थोड़ी सीख लीजिए और मेरी कमजोरी भी कोई कम कमजोर नहीं है और आप तो मजबूत रहे हैं इसलिए मजबूती से उधर रहिएगा और किसी के भी सुनने की कमजोरी कभी जाहिर मत कीजिएगा, नहीं कहीं इधर न चले आएं और अगर न समझ में आवे तो घर जाकर समझिएगा और अगर समझ में कमी है तो मैं क्या ऊपर वाला भी मदद नहीं कर सकता। फिर कहा गया कि हम लोग, खासकर मेरे लिए, लोग नहीं, कि अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, इनडिसीजन, पहले तो कहा कन्फ्यूज्ड रहते हैं।

लेकिन मेरी असमंजस की स्थिति के कारण आप भी चक्कर में पड़ गए हैं। अत: मेरी असमंजसता से सावधान रहें। इस प्रकार मेरी असमंजसता की स्थिति को कम न आंके।

फिर कहा गया कि अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं और उस अनिर्णय का परिणाम यह है कि लोकपाल का बिल, जिसका तीन साल से आप फैसला नहीं कर पाए, उसको पहली ही बार में हम लोग ले आए। अनिर्णय का नतीजा है कि पोस्टल बिल, जो वर्षों तक त्रिशंकु की तरह टंगा रहा, उसको हम लोग वापस ले आए। अनिर्णय का नतीजा यह है कि टी. वी. और रेडियो को स्वायत्तता देने की हम लोगों ने घोषणा की थी और उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया। अनिर्णय का परिणाम यह है कि 59वां संविधान संशोधन जो आपने बहुत जोर से निर्णय किया था, उसको आपके ही सहयोग से, प्यार से, संशोधन करवा लिया।

हम तो आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि संशोधन आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। जहां आपका आभार है, वहां पर आपका आभार प्रकट करेंगे। अनिर्णय का यह भी नतीजा है कि भोपाल की त्रासदी के अन्दर अन्तरिम रिलीफ की बात कही जा रही थी, उसका हम लोगों ने निर्णय लिया। अनिर्णय का यह भी नतीजा हम लोगों का है कि बोफोर्स के मामले में जो एफ.आई.आर. लॉज नहीं हो रही थी, जो खाते जब्त नहीं हो रहे थे, जो तीन साल में नहीं हो सके, हमने एफ.आई.आर. लॉज करके तीन दिन में जब्त कर लिए। अनिर्णय की यह भी स्थिति है हम लोगों की कि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में इन्टरस्टेट काउन्सिल की घोषणा की और 90 दिन में उसको बना भी दिया। अनिर्णय की यह भी स्थिति है कि गांवों के नौजवान परीक्षा के लिए भटक रहे थे, उनकी उम्र 26 से 28 हम लोगों ने कर दी। हरीश रावत जी ने उसके लिए धन्यवाद दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना तो आप मानते हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट सम्बन्ध आपसे है। इन नौजवानों से सीधा संबंध है, मैं जानता हूं।

अनिर्णय का नतीजा यह है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि नव बौद्धों को अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं मिलें। वह अनिर्णय की वजह से हम लोगों ने निर्णय कर दिया। यही नहीं नेशनल इन्टीग्रेशन काउन्सिल भी इसी अनिर्णय के अन्दर बन गई। बाछावत रिपोर्ट इंशोरेंस इन्क्वायरी के बारे में, वह भी अनिर्णय में बन गई। अब आगे की परीक्षा लें तो शर्त लगा लीजिए। एक्स सोल्जर की भांति हम लोग कहें कि अनिर्णित रहेगा, या निर्णित रहेगा। शर्त लगा लीजिए। वन-रैंक-वन-पेंशन की बात हम लोगों ने कही है, हिम्मत है तो आप कह दीजिए कि आप लोग निर्णय नहीं करेंगे। खामोश हैं, मान्यवर परीक्षा करनी हो तो कह दीजिए कि कर्ज की माफी हम लोगों ने कही है, हम लोग अनिर्णय की स्थिति में हैं हम नहीं करेंगे, इसी बजट सत्र में। फिर कह दीजिए हम लोगों ने कहा है कि जो जमीन के कानून हैं उनको नौवें शैड्यूल में ले आयेंगे, हम लोग निर्णय नहीं करेंगे। शर्त लगा लीजिए। मजबूरों की भागीदारी के लिए भी हम लोगों ने कहा है और कहा है कि इसी वर्ष सीक्रेट बैलेट पेपर के माध्यम से हम लोग करेंगे, शर्त लगा लीजिए कि हम लोग निर्णय नहीं करेंगे। यही अनिर्णय की वजह थी कि रिजर्वेशन के लिए आन्दोलन चल रहे थे, हम लोग अनिर्णय की दिशा में डटे रहे, उसका रिजर्वेशन भी पास करा लिया आपके सहयोग से। उसके लिए भी आपको धन्यवाद, क्योंकि यह संविधान का संशोधन है। दूसरे अनिर्णय की परीक्षा करनी है, तो कर्ज-मुक्ति पर

कर लीजिए। इसी बजट सत्र में कर लीजिए, कह दीजिए कि नहीं करेंगे। आगे अनिर्णय के लिए चुनौती देनी हो तो पंचायत राज के बारे में, विकेन्द्रीकरण के बारे में कर लें। शर्त लगा लीजिए कि हम लोग लाते हैं कि नहीं, निश्चित रूप से, दृढ़ निश्चय के साथ और भी अनिर्णय की परीक्षा करनी हो तो महिलाओं को पंचायतों में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी देंगे, उस पर भी शर्त लगा लीजिए और भी अनिर्णय को अगर बात करनी हो तो संविधान के अंदर काम के अधिकार को लाने की बात है, उसकी भी परीक्षा करनी हो तो बता दीजिए। आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो वह लेंगे। और भी अनिर्णय की हमारी परीक्षा करनी हो तो कहिए। हम अपने संसाधनों का 50 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्लान्स में, आठवें प्लान के अंदर लगायेंगे, उसकी भी परीक्षा कर लीजिए। आप सच क्यों नहीं बोलते हैं? आप कमजोरी और मजबूती की बात छोड़ दीजिए, निर्णय और अनिर्णय की बात मत कीजिए। सरकार ने घोषित किया है, अपना घोषणा-पत्र कि पहली जनवरी तक हम यह करेंगे, वह निश्चित है, पत्थर की तरह और उसी मजबूती की तरह उस पर हम चल रहे हैं। इसमें हम सहयोगी दलों का आभार प्रकट करते हैं।

*** *** ***[3]

मैं अपने सहयोगी दलों का इसलिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक नई परम्परा डल रही है। इसलिए नहीं कि सत्ता में इस सरकार को कायम रखना है। यह मकसद नहीं है। लेकिन मुद्दों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर एक राजनीति की परम्परा डालने के इस योगदान में, इस महायुद्ध में जो भी साथी दल हैं, उनका एक बड़ा ऐतिहासिक योगदान मैं मानता हूं क्योंकि व्यक्ति आधारित राजनीति से हटकर, मुद्दों पर आधारित राजनीति का प्रादुर्भाव हो रहा है विचारहीन एकात्मकता के मुकाबले में, मैं समझता हूं कि विचारशील द्वंद्व जनतंत्र में भला है।

हम लोगों के कुछ मुद्दों में अंतर है। हम उनको छिपाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। लेकिन तमाम राष्ट्रीय मुद्दे जो ऐसे हैं जिन पर एकता हो सकती है उनमें एकता लाने की परम्परा हम डालना चाहते हैं। इसमें हमें आपका भी सहयोग मिला है, ठीक है। आपका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि राष्ट्रीय हैं जिनमें आपने योगदान दिया। 59वां संशोधन आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता था। रिजर्वेशन के मामले में भी आपने सहयोग दिया। कश्मीर के मामले में आपने सहयोग दिया। तो एक परम्परा आदान-प्रदान की, एक दूसरे के आदर-भाव से, थोड़ा हंसी-मजाक से चलती है। एक राष्ट्रीय मुद्दों के अन्दर कन्सेन्सस (आम सहमति) की राजनीति का प्रयास हो रहा है। मैं समझता हूं कि देश के मूल हितों की रक्षा के लिए यह एक स्वस्थ परम्परा पड़ रही है। यह आरोप भी हम लोगों पर लगाया जाता था कि यह अवसरवादी गठबंधन है, लेकिन आज हमारा कोई भी सहयोगी दल कुर्सी पर नहीं बैठा है, न वामपंथी दल और न भारतीय जनता पार्टी, दोनों कुर्सी की वजह से समर्थन नहीं दे रहे हैं, कोई कुर्सी पर नहीं है, कोई अवसरवादी नहीं है।

गंभीरता से बात सुनें, जो बात सत्य है उसको समझिए। तो यह कोई एक अवसरवादी गठबंधन नहीं है, बल्कि कार्यक्रमों के आधार पर, व्यक्तिवादी राजनीति से हटकर मुद्दों की राजनीति की परंपरा की ओर चल रहे हैं।

सोमनाथ चटर्जी जी ने कई चीजें मौजूदा सरकार के बारे में कहीं, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। गाडगिल जी ने प्लानिंग के बारे में एक मुद्दा उठाया, ग्रोथ रेट के बारे में उन्होंने कुछ चीजें कहीं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इस सदन को कि विकास के प्रति सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है इसमें कोई कमजोरी नहीं है और जो विकास की गति रही है, उसको हम बढ़ाए रखना चाहते हैं, उसको कायम रखना चाहते हैं, लेकिन उस विकास के अन्दर हिस्सेदारी किसकी हो, इस पर जरूर हम निगाह रखना चाहते हैं और यही अन्तर है, केवल विकास के आंकड़े से हमको संतोष नहीं है। जो बेकारी है, उसको मुख्य मुद्दा मान कर, जो नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या है, हम आठवीं पंचवर्षीय योजना बनाना चाहते हैं, विकेन्द्रीकरण, जनता की भागीदारी, जनोन्मुखी हमारी नीतियां और जो फैडरल स्ट्रक्चर है, उसको और दृढ़ करने के लिए यह जरूरी है। केवल आंकड़ों के अन्दर हमारी योजनाएं नहीं हैं, एक संख्या कभी विकास का सूचक नहीं होती, बल्कि उसका स्वरूप क्या है, उस स्वरूप में जो कमियां रही हैं, उसमें हम सुधार लाना चाहते हैं। इस संबंध में जो कमियां हमारे विकास की रही हैं, मैं समझता हूं कि दो रही हैं, विकास की स्ट्रेटजी में। यद्यपि इधर जो आंकड़े में विकास आया है जब आप रहे हैं, अच्छा रहा है। संख्या में स्टेटिस्टीकली ठीक है, हम मानते हैं लेकिन एक बात कृषि में जितना विकास होना चाहिए था, जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। कृषि के अन्दर जो पूंजी लगनी चाहिए थी वह या तो स्थायी रही या कुछ कम होती चली गई। यह हमारी रणनीति में है, गरीबी दूर करने की रणनीति में बड़ी भारी कमियां थीं, दूसरा मैंने कहा कि हमारे विकास का बेकारी की समस्या पर सीधा कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इस सिलसिले में आप अगर देखें तो यह ग्राफ है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सन् 1980 के बाद ग्रास कैपिटल फारमेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वह स्थायी रही या नीचे रही, कुछ कम रही, यही होता रहा, उसकी हमको पकड़ करनी चाहिए। भारत वहां रहता है और इसको दूर करने के लिए प्लान एलोकेशन में हम लोग 50 फीसदी संसाधन गांवों में लगाना चाहते हैं।

केन्द्र का बजट मान लीजिए कुछ कम है डिफेंस का बहुत ज्यादा आता है, मगर प्लान में नेशनल रिसोर्सिज का कमिटमेंट स्टेट और सेंटर को मिलाकर 50 प्रतिशत कम से कम गांवों में लगे। इसी के साथ उद्योग के अन्दर कैपिटल इंटेंसिटी के उद्योग की बजाए लेबर इंटेंसिटी की ओर हम जाना चाहते हैं। कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं और लघु उद्योग हैं, वे हमारी औद्योगिक नीति के प्रमुख अंग रहेंगे। इसी के माध्यम से गांव भी मजबूत बनेंगे, हमारे उद्योग भी मजबूत बनेंगे और एक-दूसरे के पोषक बनेंगे। कृषि की एक बात गौर करने की है कि जो इण्डस्ट्रियल पॉलिसी रेज्योल्यूशन सदन में रखा गया इसने राष्ट्र को औद्योगिक दिशा देने में उसको ढांचा देने में उसने काफी प्रभावशाली रोल अदा किया है। क्या कारण है कि कोई एग्रीकल्चरल पॉलिसी रेज्योल्यूशन इस देश में नहीं हुआ आज तक। कृषि से संबंधित हम लोग जितने आए हैं, अगर सोचें इस सदन के अंदर अधिकतर लोग होंगे जो गांव से होंगे, पॉलिसी

स्टेटमेंट भले हुआ हो कृषि पर लेकिन एक सरकार का स्टेटमेंट एक पॉलिसी रेज्योल्यूशन का मुकाबला नहीं करता क्योंकि नेशनल पॉलिसी रेज्योल्यूशन कई सरकारों को बांधता है, चाहे वह सरकार आए या कोई और सरकार आए। ऐसे ही कृषि नीति का प्रस्ताव होना चाहिए, जिसे हम स्वीकार करें, चर्चा करें, जिसमें किसी प्रकार की, किसी मंत्री की बात न हो, बल्कि उसका नाम भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखकर, एक राष्ट्रीय दिशा मान कर, गांवों की आवाज मान कर खेत-खलिहान की आवाज मान कर राष्ट्रीय स्तर पर रखें। जो भी सरकार आए, लेकिन वह इस दिशा पर चले। ऐसी एक पॉलिसी बननी चाहिए। मैं समझता हूं एग्रीकल्चर पॉलिसी रेज्योल्यूशन यहां पर आना चाहिए।

लेकिन अभी जो समस्याएं हम लोगों के सामने हैं—एक तो पब्लिक सेक्टर के योगदान की बात है। उसमें हम लोग मजदूरों की भागीदारी लेकर, उनको हिस्सेदार बना कर, हम समझते हैं केवल प्रबंध में भागीदार नहीं, बल्कि ऑनरशिप में मजदूरों की भागीदारी का सूत्रपात होना चाहिए। उसकी क्या रूपरेखा हो, यह बहस की बात है, विचार की बात है। पब्लिक सेक्टर की जो गति है, मेरा विश्वास है कि मजदूरों को जब तक हम विश्वास में नहीं लेते हैं, जब तक उनको भागीदार नहीं बनाते, खामी प्रबन्ध में नहीं, मिल्कियत में भागीदार नहीं बनाते हैं, पब्लिक सेक्टर का रास्ता नहीं निकाल पाते हैं। इस दिशा में हम लोग इसी वर्ष में पब्लिक सेक्टर के लिए सीक्रेट बैलेट के माध्यम से रेज्योल्यूशन ले आऐंगे। लेकिन यह जरूरी है कि पब्लिक सेक्टर में जितनी पूंजी लगी है, उसके मुकाबले में देश को पूंजी कमा कर के यह दे। यह अति आवश्यक है। पब्लिक सेक्टर पर एक श्वेत-पत्र हम लाएंगे। इस समय जो हमारे सामने समस्या आई हुई है वह अर्थव्यवस्था में दो दिशाओं में आई हुई है। एक तो हमारा अन्दरूनी कर्ज है और एक विदेशी कर्ज। अभी तक इस पर कुछ मुंह ढांपा-ढांपी का ढंग चलता रहा कर्जा लेकर के। हमारी देशी मुद्रा के रिजर्व हैं उनको थोड़ा खर्च करके उस पर पर्दा पड़ा रहा। लेकिन अब वह पर्दा नहीं रह सकता। बेहतर है कि स्थिति को आपके, सदन के और देश के सामने रखा जाए और उसकी अहमियत को समझा जाए। अगर हम डैट सर्विस में खर्च की राशि देखें, जो 1984-85 में दो हजार पांच सौ तेइस करोड़ रुपये थी और जो 1988-89 में सात हजार छत्तीस करोड़ रुपये हो गए। एन.आर.आई. के जो डिपाजिट हैं उसकी डैट सर्विस न लें, उनकी अदायगी में पैसा जाता है तो मीडियम और लांग टर्म पर 24 फीसदी डैट सर्विस हो गई जो जोड़कर देखें तो करीब-करीब 30 फीसदी है। वर्ष के आरम्भ में सात हजार चालीस करोड़ विदेशी मुद्रा भण्डार था जब यह सरकार आई तो यह घटकर पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपये रह गई, इसमें एक साल के अंदर छीजन हुआ, इस सरकार के आने से पहले। विदेशी मुद्रा का जो रिजर्व कैप था इसलिए कि दो महीने इम्पोर्ट में रह गए। मैं इसलिए सदन के सामने रखना चाहता हूं कि कठिन समस्याएं सरकार के सामने हैं वह आपको मालूम हों, लेकिन मैं पिछली सरकार की निन्दा नहीं करूंगा, वह छोड़ दीजिए। आगे आर्थिक आजादी कायम रखने के लिए हमें किसी के मातहत नहीं रहना है। हमें कहीं जाकर भिक्षा मांगकर अपनी आर्थिक आजादी को गिरवी नहीं रखना है। इसलिए कठिन निर्णय हमको करने होंगे। हमने उनकी मजबूरी देखी है जो बड़े-बड़े कर्जों के अन्दर पड़ जाते हैं। एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक मंत्री जो कि कर्ज में डूबे हुए देश का था, एक स्टेटमेंट देता है, ताज्जुब

हुआ कि यह कैसे हिम्मत कर रहा है। सेशन 15 मिनट के लिए स्थगित हो जाता है और उसको कुछ कहा जाता है तो वही मंत्री 15 मिनट बाद उलट बात कहता है। इस गुलामी के दर्शन हमने देखे हैं और हमें इस गुलामी में नहीं जाना है। चाहे हमें अपना पेट काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इसमें नहीं जाना है। यह सरकार अकेले इसको नहीं कर सकती है, यह जनता के बीच में जाकर कहना है कि हमको यह कदम इसलिए उठाने पड़ रहे हैं कि आर्थिक आजादी को कायम करने के लिए लड़ाई लड़नी है। अगर आप भीख मांग कर हाथ पसारेंगे तो भी आपको मजबूर होकर वे कदम उठाने पड़ेंगे कर्जे से निकलने के लिए। इस अर्थ में मैंने आपको इसके विश्वास में लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका समर्थन मिलेगा और आगे के कदमों में आपका सहयोग भी मिलेगा। मौजूदा सरकार अपना ढिंढोरा पीटने में विश्वास नहीं करती है, क्योंकि हम लोग सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं, हम जनता की ओर से सरकार में हैं। इसलिए सरकार का ढिंढोरा पीटें यह हमारा काम नहीं है। कम से कम मैं तो ऐसा करने में रुचि नहीं रखता हूं। मैं तो यह समझता हूं कि जनता की ओर से सरकार पर अंकुश रखना मेरा काम है। जिस दिन हम केवल सरकार का ढिंढोरा पीटने लगेंगे तो हम सरकारी अफसर हो जाएंगे, जन-प्रतिनिधि नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपनी कमियों को हम स्वीकार करेंगे। 100 दिन में यह नहीं कि हमसे कुछ गलतियां न हुई हों, हो सकती हैं। कुछ बातें आपको अलग से बताएंगे, लेकिन हम लोगों ने गवर्नेंस की बात कही। लगता है कि लोगों को जिस लायक हमने, सोचा, उस लायक नहीं थे वो इसलिए उसको किसी भी सरकार को या प्रधानमंत्री को, मान्यवर आकाश में कभी मत बिठाइये और आकाश पर बैठाकर कह दिया कि अब तो देश उसी के साथ नत्थी हुआ तो फिर जब गिरता है तो देश भी धड़ाम से गिरता है। इसलिए हमको अपनी कमियों को सदन में कहने में दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि उसी में हमारा सुधार भी हो सकता है लेकिन हां, जिस संघर्ष को ले करके हम आए हैं, उस संघर्ष को यहां भी जारी रखेंगे और उस संघर्ष के प्रति वफादार रहेंगे। वही हमारी मर्यादा और मापदण्ड है।

भजन लाल जी ने पंचायती राज के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी कि सरकार इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाऊं भजन लाल जी कि विकेन्द्रीयकरण के बारे में हम लोग प्रतिबद्ध हैं और पंचायती राज का बिल हम लोग इसी वर्ष ले आएंगे। आपके सामने ले आएंगे। हमको विश्वास होता है चूंकि आपने चिन्ता व्यक्त की है, और आपका समर्थन मिलेगा, इसलिए उसे पास करने में दिक्कत नहीं है। इन्द्रजीत जी ने एक चीज कही थी कि सभी सदस्यों को अपने असेट्स डिक्लेयर करने हैं।

*** *** ***[4]

यहां राजदेव सिंह जी और हरीश रावत जी ने "वन रैंक वन पेंशन" की बात कही, इस सिलसिले में हम इसी सत्र में आपके सामने एक प्रस्ताव लाने वाले हैं, वह आपके सामने आएगा और मुझे विश्वास है कि आपका समर्थन हमें मिलेगा। लेकिन मैं भूतपूर्व सैनिकों को केवल वेतनभोगी या पेंशनभोगी ही नहीं मानता, और न इस सिद्धान्त का पक्षधर हूं। उसकी जो अन्तिम आहुति, आखिरी त्याग हो सकता था, उसका प्रण लेकर, देश की रक्षा के लिए वह खड़े रहे।

आज यदि हम अपने भूतपूर्व सैनिकों को देखें, अपनी सेना को देखें तो देश की एकता के सवाल पर, चाहे वह केरल का हो, कश्मीर का हो, बंगाल का हो या राजस्थान का हो, चाहे वह तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, चाहे वह ईसाई हो, मुसलमान हो, हिन्दू हो या सिक्ख हो, जब वह सेना की वर्दी पहन लेता है तो सब कुछ छोड़कर वह भारतीय होता है, और कुछ नहीं। इस सदन के माध्यम से मैं भूतपूर्व सैनिकों से अपील करना चाहूंगा कि आज जो चुनौती देश पर आई है, उसे वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की भावना से देखें, केवल वेतनभोगी या पेंशनर होकर नहीं। वे एक नया नेतृत्व लेकर सामने आएं। यदि गांव-गांव से ऐसी शक्ति जागृत होगी तो वह देश को बचाने और देश को मजबूत बनाने में भारी सहायक सिद्ध होगी।

अब मैं रक्षा के संबंध में आपसे थोड़ा सा कहना चाहता हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि इस बारे में भी कई बातें कही गई हैं। बहुत कहा गया है कि यह सरकार कमजोर है, लेकिन जब देश की सरहदों के बाहर से चुनौतियां आ रही थीं, उस समय देश को मजबूत करने के लिए क्या हो रहा था? वर्ष 1988-89 में हमारा डिफेंस के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट 13,200 करोड़ रुपये का था, जबकि एक्चुअल 13,240 करोड़ रुपये खर्च रहा। उसके मुकाबले, जहां एक्चुअल 13,341 करोड़ रुपये खर्च हुए, वर्ष 1989-90 यानी चालू वर्ष में 13 हजार करोड़ रुपये आबंटित किए गए। नतीजा यह हुआ कि जब यह सरकार सत्ता में आई तो पहले सेशन में जनवरी माह में हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं था और इस सरकार को 500 करोड़ रुपये का सप्लीमेंटरी बजट लेकर आना पड़ा। यह देश को मजबूत करने का ढंग नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उस सबकी बात यहां हो, यहां ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरे विश्व में डिफेंस की बजाए, रक्षा के मामलों में खर्च करने की बजाए, विकास कार्यों में ज्यादा धन लगाया जाए, अपने देश में भी ऐसा ही होना चाहिए, परन्तु यथार्थ को देखते हुए, मैं नहीं समझता कि देश को मजबूत करने की तरफ से ध्यान हटे। आप फोरेन एक्सचेंज का एस्केलेशन देख लें, महंगाई का एस्केलेशन देख लें, तो एक्चुअल टर्म्स में यह घटोत्तरी ही हुई है जबकि हमारी सरहदों पर चुनौतियां लगातार बढ़ती गई हैं।

मेरा ख्याल है कि इसको भी हमें सुधारना पड़ेगा, बोझ जरूर पड़ेगा, लेकिन इस बोझ को भी देश की रक्षा के लिए हमें सहन करना होगा।

हाण्डू साहब ने जम्मू-कश्मीर के बारे में बात कही। इस पर काफी चर्चा भी हुई। फर्नाण्डीज जी श्रीनगर गए हुए हैं और इस संबंध में देखेंगे, वे फिर जम्मू रहेंगे, तीन-चार दिन उधर ही रहेंगे। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग, आप सबसे मिलकर हो रही है। स्थिति चिन्ताजनक है, ऐसी स्थिति में मैं यहां कोई ऐसा चित्र नहीं खींचना चाहता हूं जिससे स्थिति खराब हो। इसको हम सबको करना है। इसके लिए मैं नेता, विरोधी दल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सहयोगात्मक ढंग से योगदान दिया है।

पंजाब का मामला राजदेव जी ने उठाया था। पंजाब में इधर हत्याएं बढ़ी हैं, फिरौतियों की संख्या भी बढ़ी है। अबोहर के लोग मेरे पास आए थे और इस मामले में जो 1988 के लेवल पर था, उस स्तर से इस समय वहां हिंसा की घटनाएं नुकसान पहुंचा रही हैं, यह चिन्ताजनक चीज है, इस पर हम दृढ़ता से काबू लाएंगे। किसी भी मासूम की जान नहीं जाने

देंगे। उसके लिए जितनी भी शक्ति लगाने की हमें जरूरत होगी, हम लगाएंगे। उधर जो अन्याय की भावना का अंदाज था उसको भी दूर करने की हमने कोशिश की है। उनसठवें संविधान संशोधन की बात, सन् 1984 के राइट्स की बात राजदेव जी ने उठाई थी। स्पेशल कोर्ट भी 90-100 दिनों के अन्दर बनाए गए। जो डैजर्ट्स हैं, उनको भी छोड़ा गया है। उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा गया है कि वे घूमते रहेंगे, बल्कि उनको नौकरी के साथ छोड़ा गया है। विधवाओं के लिए और भी कुछ देने का प्रस्ताव दिया गया है। उस पर दिल्ली से भी प्रस्ताव आ रहा है। उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन जब तक एक वातावरण नहीं बनता है, तब तक स्थिति नहीं सुधर सकती है। अभी सब दलों की एक बैठक हुई, बहुत अच्छा हुआ। पंजाब में गवर्नर को सलाह देने के लिए सर्वदलीय समिति बनाने की हम लोगों ने स्वीकृति दी है। वहां पर शान्ति का वातावरण बनाने की बड़ी आवश्यकता है और मुझे खुशी है कि जो सर्वदलीय बैठक हुई, जिसके अन्दर सभी मुख्य पार्टियां थीं, लेकिन अकाली दल मान उसमें शरीक नहीं हुआ था, परन्तु भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता दल, अकाली दल बरनाला, अकाली दल बादल, ये सब पार्टियां थीं। उन्होंने भी इस चीज का एहसास किया कि पहले कंजीनियल एटमास्फीयर पंजाब में बनाने के लिए सब से बड़ी आवश्यकता है। इसे हम मानते हैं।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मसले पर सबसे बात करके, सहयोग से, आपस में आदान-प्रदान करके, इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए इस बात से हम सहमत हैं। एक कमेटी भी इसके लिए बनाई गई, उसकी बैठक जल्दी ही होगी। पहले चुनावों की वजह से फिर जम्मू-कश्मीर की समस्या की वजह से कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन उसकी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। हम आशा करते हैं कि समझदारी के साथ, कोई रास्ता निकलेगा।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सन् 1984 के विक्टिम्स की विधवाओं को जो 400 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती थी, उसे एक हजार रुपये कर दिया गया है।

विदेश नीति के बारे में गाडगिल जी ने कहा कि यह सरकार बड़ी कमजोर है। छोटे-छोटे देश भी अब बोलने लगे हैं। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश भी बोलने लगे हैं। इस बात पर ताज्जुब भी होता है, क्षोभ भी होता है। कम से कम विदेश नीति एक ऐसा एरिया है। जिसके अन्दर दलगत रूप से नहीं होगा, यह राष्ट्र की नीति होती है, कोई मेरे दल की नहीं है, विदेश नीति किसी एक दल की सम्पत्ति नहीं होती है देश की होती है और यह हमारी आजादी की लड़ाई के दौर से गढ़ी गई, आजमाई गई और इसे हमने स्वीकारा है, केवल सरकार ने नहीं स्वीकारा है बल्कि देश ने स्वीकारा है, जनता ने स्वीकारा है। मैं आपको जवाहरलाल जी के शब्द कहता हूं। हमारी विदेश नीति को बनाने में, गढ़ने में उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं उनके शब्द आपके लिए पढ़ता हूं:

हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रत्येक देश को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझानी चाहिए, अपना एक अस्तित्व कायम करना चाहिए। किसी देश द्वारा अन्य देशों को अपना उपनिवेश

बनाने अथवा आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से उन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में हम विश्वास नहीं करते।

हमारी विदेश नीति का क्या आधार था? आधार था समानता का, आदर का, आधार था पंचशील का और हम यह कहें कि वह छोटा देश कैसे हमसे बोल रहा है। जिस नीति की नींव डाली गई, क्या उस पर कुठाराधात नहीं हो रहा है जब हम यह कहें कि छोटा देश नेपाल तुम क्या बोलते हो, श्रीलंका तुम क्या बोलते हो, कहां है हमारी यारी-दोस्ती। हम बड़े देशों का इसलिए मुकाबला कर सके हैं, सामने सिर ऊंचा करके क्योंकि हमने छोटे देशों को दबाने की नीति नहीं अपनाई है। अगर हम छोटों को ऐसे देखेंगे तो जब बड़े आएंगे तो हम घुटने टेकेंगे क्योंकि हमारी मानसिकता छोटे-बड़े की रहेगी। हमारी विदेश नीति की समानता हम आने नहीं देंगे। इस अर्थ में अगर आप देखें तो मालद्वीप के प्रेजीडेंट आए हुए हैं। पहले हैड ऑफ स्टेट सबसे छोटे देश के आए हैं। गनीमत है कि आप उस पर टिप्पणी नहीं करते कि क्या छोटे देश के प्रेजीडेन्ट आए हैं। हमारे ऐक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की पहली यात्रा भी मालद्वीप की थी। कहां छोटे देशों को जा रहे हैं, बड़े-बड़े देश जाना चाहिए। अब नामीबिया जा रहे हैं। यह न कहिएगा कि आबादी के हिसाब से क्या छोटा देश है, अफ्रीका जाइए। छोटा-बड़ा देश नहीं होता है, मूल्य छोटे बड़े होते हैं। हमारी विदेश नीति मूल्यों पर अंकित रही है, उसे मत बिगाड़िए, और देशों का आदर करें। आज पाकिस्तान ने इसलिए दखलअन्दाजी बढ़ा दी क्योंकि सरकार को कमज़ोर समझता है। इस दखलअन्दाजी की फरियाद तो आप भी करते रहे हैं, क्या कमजोर थे आप? सियाचिन की बात उठाई, क्या कमजोर थे आप, मैं तो नहीं कहता कमजोर थे। इस चीज की विकृति नहीं होनी चाहिए। नेपाल तो आपके समय में अकड़कर बोलता था, अब तो हमारी चीजों की, हमारी सिक्युरिटी की बात भी कहता है, सुधारने की भी बात करता है। शक्ति गुमान में नहीं होती, एकमत होने से ताकत जुड़ती है और वही हमारी ताकत होती है। हम समझते हैं कि विदेश नीति की जो चुनौती आई जम्मू-कश्मीर के सिलसिले में, वह बहुत कामयाब रही है। हमको उसके लिए अपोलोजैटिक नहीं होना है बल्कि हमको गर्व है।

शिमला ऐग्रीमेन्ट के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान ने पहले उछाला था। क्या वह संदर्भ नहीं रह गया है शिमला ऐग्रीमैंट का? हमने कह दिया है कि यह मत समझिए कि अगर ऐग्रीमैंट का संदर्भ नहीं देते तो वह एक तरफा नहीं रहेगा। आप अपने लिए भी समझ लीजिए कि शिमला ऐग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए जो आधार बना है आपस की शान्ति का, उसको उखाड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन विभिन्न राजधानियों में यह केवल मैं नहीं कहता, इसी सरकार की सफलता रही है क्योंकि एक परम्परा एक विदेश नीति की चली आ रही है। उसका इतिहास मिलकर हमें एक सफलता देता है, लेकिन हम लोग सचेष्ट रहें और हमें सफलता मिली। इसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने का जो प्रयास किया गया, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली।

मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा। अन्त में इतना ही कहूंगा कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस समय एक भारी राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। एक बड़ा दल कांग्रेस रहा है और वह आजादी

के बाद से रहा है, लेकिन एक विकासशील देश जिसने नई आजादी पायी है, उसको जरूरत रही है एक स्थायित्व की। लेकिन जैसे-जैसे दशक बीतते गए सही मायने मे लोगों के पास राजनीतिक विकल्प नहीं था। अगर विकल्प सही मायने में नहीं है तो जनतन्त्र बन्द हुआ। उस बन्द हुए जनतन्त्र से टूटने के कारणों और राजनीतिक विकल्प जहां हो उसको एक नए और सही अर्थों में, सही मायनों में तय कर सकें। एक सूत्रपात हुआ है। मैं सूत्रपात केवल कह रहा हूं क्योंकि अभी इस प्रक्रिया को दृढ़ होना है। इसमें अन्तरद्वंद्व हैं। हमारे अंदर भी अन्तरद्वंद्व हैं, कॉन्ट्राडिक्शन्स हैं। उन अन्तरद्वंद्वों को भी ले करके हम हिम्मत के साथ बढ़े हैं। अभी तक स्थिति आशाजनक रही है, लेकिन हम नहीं कहते कि हम पार कर चुके हैं। हमको अभी बड़ी मंजिल पार करनी है। हम सबके ऊपर इसको पार करने की जिम्मेदारी है और जनता के लिए जिम्मेदारी है। इसी आशा को रख करके हम काम करने की कोशिश करेंगे और आपका भी इसमें सहयोग मांगेंगे।

धन्यवाद।

पश्च टिप्पण

III. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर, 16 मार्च, 1990

1. **श्री भजन लाल** (फरीदाबाद) : हम आपकी बात उनको बता देंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अब सुनने में भी बिचौलिये होने लगे हैं मान्यवर।

श्री के. एस. राव (मछलीपट्टनम) : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है...यह असंसदीय है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बिचौलिया असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री के.एस. राव : कृपया उस वक्तव्य को वापस लीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं पूरा विश्वास करता हूं कि...

श्री के.एस. राव : कृपया उस वक्तव्य को वापिस कीजिए। हम बिचौलिए नहीं हैं। हम सांसद हैं।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम सांसद हैं। हम बिचौलिये नहीं हैं।

श्री के.एस. राव : माननीय प्रधानमंत्री जी को हमें संबोधित किए गए बिचौलिया शब्द को वापिस लेना चाहिए।

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : जी नहीं, उन्होंने आपको ऐसा नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, मैं इतना ही कह रहा था कि मैं एक बात कह रहा हूं, गाडगिल जी यहां हैं नहीं, उनको मैं अपनी बात सुनाना चाहता हूं, लेकिन वे हैं नहीं, तो मेरी बात को उनके पास तक पहुंचाने की बड़ी कृपा की। इन्होंने कहा कि मैं पहुंचा दूंगा, तो हमारे और गाडगिल जी के बीच में।

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : प्रधानमंत्री जी में शालीनता होनी चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। इससे सभा की गरिमा में वृद्धि नहीं होती? इनकी ओर से यह कहना उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हम बिचौलिये नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा है?

श्री पी. चिदम्बरम (शिवगंगा) : उन्होंने बिचौलिया शब्द का इस्तेमाल किया है।

एक माननीय सदस्य : क्या 'बिचौलिया' शब्द असंसदीय है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, क्या बिचौलिया असंसदीय है? मान्यवर आप जो आदेश दें, अगर बिचौलिया असंसदीय है, तो मैं नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मेरे विचार से प्रधानमंत्री जी ने इसे ऐसे ही कहा है इसमें कुछ असंसदीय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं खड़ा हूं। आपको बैठ जाना चाहिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रधानमंत्री जी ने इसे इस नजरिये से नहीं कहा है, उन्होंने वास्तव में कुछ भी असंसदीय नहीं कहा है। मैं सहमत हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइए कि उन्होंने कौन से असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है।

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने जब बोलना शुरू किया तो दो शब्द कहने के बाद आपकी उपस्थिति में इन्होंने कहा कि औपोजीशन के लीडर हाउस में नहीं हैं, वे होते तो मैं उनको सुनाता। हमने उनको अर्ज किया कि हो सकता है वे आने वाले होंगे, अगर नहीं हैं तो आपकी बात जो बोल रहे हैं, हम नोट करेंगे और अपने नेता को बता देंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, अब मैंने श्री भजन लाल को बोलने की अनुमति दी है तो आप क्यों खड़े हुए हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उनकी पार्टी में कोई बिचौलिया नहीं है उनके यहां एक नेता और बाकी कार्यकर्ता हैं।

श्री भजन लाल : यह सारे हाउस की इनसल्ट है, सब मेम्बरों की इनसल्ट है, हम प्रधानमंत्री जी का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। हम यही बात कहना चाहते हैं कि इन्होंने हाउस की इनसल्ट की है, इसलिए मेहरबानी करके अपने शब्द वापिस लें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भजन लाल जी को सुन लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि वे अपना भाषण जारी रखें।

श्री के.एस. राव : उन्होंने हमें बिचौलिये कहा है मैं यह बात मानता हूँ कि उन्होंने इसे हल्के–फुल्के ढंग से कहा है–अब मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को उस वक्तव्य को वापिस लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारी बेइज्जती हो रही है।

इसका अर्थ है, उन्होंने कहा है और वह स्वयं इसका समर्थन करना चाहते हैं कि असंसदीय नहीं है और 'बिचौलिया' एक संसदीय शब्द है। इसी तरह लगता है। तेलगू में जब हम पूछते हैं आपके पिता कैसे हैं, और इसके स्थान पर अगर हम कहें आपकी मां के पति कैसे हैं–'अम्मा मोगुडू' तो कैसा लगता है।

अगर वह संसद सदस्यों का सम्मान करते हैं तो उन्हें कहने दीजिए कि उन्होंने यह शब्द नहीं कहा है या उन्हें कहने दीजिए कि उन्हें यह पता करने के बजाए यह शब्द संसदीय है यह असंसदीय, उन्हें अपना शब्द वापिस लेना चाहिए। इससे सभी सांसदों की बेइज्जती होती है। जब तक वह यह नहीं कहेंगे हम आगे सभा की कार्यवाही शुरू नहीं करेंगे। इससे प्रत्येक सांसद की बेइज्जती हो रही है या तो उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए या उन्हें कहना चाहिए कि वह यह शब्द वापिस लेते हैं दोनों में से एक उन्हें करना चाहिए। चाहे यह संसदीय है या असंसदीय वह यह नहीं कह सकते।

श्री पी. चिदम्बरम : मेरा यह निवेदन है। यह गम्भीर वाद–विवाद है। प्रधानमंत्री जी एक बहुत गम्भीर वाद–विवाद का उत्तर दे रहे थे और हमें यह आशा है कि वह निश्चय ही उपने उत्तर ध्यान से देंगे। महोदय मैंने अनुवाद में सुना है उन्होंने हिन्दी का शब्द 'बिचौलिया' इस्तेमाल किया है। जिसका अर्थ मिडलमेन (बिचौलिया) होता है। महोदय, आपने कहा है– प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है–प्रधानमंत्री जी ने इसे ऐसे ही हल्के–फुल्के ढंग से कह दिया है। हम नाराज हैं अगर सांसद नाराज हैं तो यह कहने में क्या परेशानी है कि 'अगर आप नाराज हैं, तो मैं अपना शब्द वापिस लेता हूँ''

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से बिचौलिया शब्द असंसदीय नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अगर इस शब्द का इस्तेमाल करने से विपक्ष के लोगों को ठेस पहुंची है–कोई अन्य शब्द इस्तेमाल कर लीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेशों का पूरा समर्थन करता हूँ और एक शायद अनुवाद में कुछ गड़बड़ हो रहा हो।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करें जिससे किसी को तकलीफ न हो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, कतई नहीं होगी। मान्यवर, मैंने विरोधी दल के नेता के बारे में नहीं कहा था, मैंने तो गांड़गिल जी के बारे में कहा था। वह यहां नहीं है क्योंकि उन्होंने डिबेट में काफी विस्तार से शिरकत की थी।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाएं। मैंने आपको अनुमति नहीं दी, बोलने के लिए।

2. **श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा)** : हम प्रधानमंत्री जी को माननीय अध्यक्ष के द्वारा जरूर बात पहुंचाएंगे लेकिन माननीय अध्यक्ष के लिए बिचौलिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने बिचौलिया शब्द का इस्तेमाल किया है, वह अपने सम्मान के अनुकूल नहीं कहा है।

   श्री भजन लाल : ये कहें कि मैंने ऐसा कहा नहीं है तो बात समझ में आती है या शब्द को वापस लें।

3. **श्री एम. बागा रेड्डी** : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बहुत से सरकारी निर्णय जो लिए हैं उनके इम्पलीमेंटेशन के ताल्लुक से कहा। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा निर्णय यह लिया था, वह निर्णय आपके मेनिफेस्टों में भी लिखा गया है और उसका प्रचार भी किया गया कि दस हजार रुपए तक के कर्जे... बड़े आश्चर्य की बात है कि जो बात कही गई थी...आप लोग कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं... लेकिन इसमें उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्जे की माफी पर भी शर्त लगा ली जाए कि यह इस बजट सेशन में आता है या नहीं आता है।

इसमें मैं विशेषरूप से अपने सहयोगी दलों का आभार प्रकट करना चाहता हूं।

श्री मदन लाल खुराना : दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की बात भी कह दीजिए कि वह भी ला रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मण्डल आयोग की बात भी कह दीजिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मंडल आयोग की बात आगे आएगी। आप चिन्ता मत कीजिए कुछ छूटेगा नहीं।

4. **श्री भजन लाल** : मैंने महम के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चाहे महम हो, चाहे रायबरेली और चाहे अमेठी हो, कहीं भी हिंसा के हम लोग समर्थक नहीं हो सकते हैं।

और पहली बार किसी दल ने।

श्री पी. चिदम्बरम : महम के बारे में आप क्या कहते हैं। आपके लोग अभी तक वहां हैं।

श्री वाई.एस. राजेश्वर रेड्डी (कुडप्पा) : क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में क्या हो रहा है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे कहने तो दीजिए। मैं बताता हूं क्यों अमेठी छोड़ दिया। छोड़ दिया, माफ कर दिया। अब तो बैठ जाइए। अब खत्म हुई बात। मान्यवर, पहली बार एक राजनैतिक दल ने स्वयं रीपोल के लिए स्वयं इलेक्शन कमीशन से मांग की है। अमेठी में भी यही मांग होती तो बहुत चीजें नहीं होतीं, सुधार होता।

श्री भजन लाल : इन्होंने कहा लेकिन इलेक्शन तो काउंटरमेंडेड कर दिया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : भजन लाल जी, आप क्यों ज्यादा बात करते हैं, गढ़बाना में आप हमारे साथ ही थे तो चलिए साथ मिलकर अब रास्ता निकाला जाए।

इन्द्रजीत जी ने एक बात कही कि सभी सदस्य अपने एसेट्स की, अपने धन की घोषणा करें। मैं समझता हूं उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया, जिससे एक स्वस्थ परम्परा पड़ेगी और इस पर सरकार सकारात्मक ढंग से जरूर विचार करेगी।

श्री आर. एन. राकेश (चेल) : आप अपनी सम्पत्ति तो पहले बतलाइये कितनी है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :आप तो हमारे घर के हैं, आपसे क्या छिपाएंगे।

यहां प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी ने एक चीज कही कि रोजमर्रा के काम के सिलसिले में हमारी कुछ गाइडलाइन्स होनी चाहिए, डिस्क्रीशनरी तरीके से हर चीज के निर्णय नहीं होने चाहिए। विजय कुमार जी, इस विषय में आपसे अवश्य आदान-प्रदान करूंगा, मैं भी इसका समर्थक हूं कि किसी गाइडलाइन के आधार पर, किन्हीं परम्पराओं के आधार पर ही, सारी चीजें हों। आपका स्वागत है, हमें आपसे विचार-विमर्श करने में कोई वैसी बात नहीं है, हम लोग सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

नामीबिया की यात्रा पर वक्तव्य

30 मार्च, 1990

नामीबिया की आजादी के सिलसिले में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए मुझे 20 और 21 मार्च को विन्डहोक जाने का सुअवसर मिला।

नामीबिया को एक सम्प्रभुतासम्पन्न और स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित होते देखना एवं उस गरिमामण्डित एवं आनन्ददायक अवसर पर उपस्थित होना–प्रधानमंत्री की हैसियत से अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए इससे अधिक उपयुक्त और कोई अवसर मेरे लिए क्या हो सकता था। हमने एक ऐसे ऐतिहासिक समारोह में भाग लिया जो अफ्रीका में उपनिवेशवाद की समप्ति एवं दक्षिण अफ्रीका में जातिवाद के पलायन का द्योतक था। यह हमारे लिए सचमुच एक अविस्मरणीय अनुभव था।

नामीबिया में हमारे प्रतिनिधिमण्डल जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी, कामरेड सुरजीत, श्री इन्द्रजीत गुप्त, और कांग्रेस (आई) के श्री नारायणन शामिल थे, की उपस्थिति इस बात का प्रमाण था कि जातिवाद एवं उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के प्रति भारत की वचनबद्धता, दलगत एवं विचारगत सीमाओं के परे है। यह हमारी मात्र राष्ट्रीय नीति ही नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आजादी की लड़ाई के समय से चली आ रही हमारी राष्ट्रीय मानसिकता का एक अभिन्न अंग है।

मध्य रात्रि के तुरन्त बाद भारत ने नामीबिया के साथ अपना राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया, पहले लगाए गए सभी प्रतिबन्धों को उठा लिया एवं एक निवासी हाई कमीशन की स्थापना कर दी। नामीबिया की जनता के, जिसने "स्वापो" के ध्वज के नीचे और राष्ट्रपति सामनुजोमा के नेतृत्व में अपनी आजादी के लिए 23 वर्ष की लम्बी अवधि तक बड़ी वीरता से संघर्ष किया था, इस गर्वोल्लासपूर्ण क्षण को हमने भी जिया।

हमें इस बात का गर्व है कि नामीबिया के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता देने के जो प्रयास किए जा रहे थे, उनमें भारत पहली पंक्ति में था। हमने "स्वापो" को उसके निर्वासन के दिनों में नैतिक, सामग्रीगत और राजनीतिक समर्थन दिया है। स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व के संक्रमणकाल में भारत ने "संयुक्त राष्ट्र संक्रांति सहायता दल" को एक शांतिरक्षक सैनिक टुकड़ी की सेवाएं, निगरानी के लिए पुलिस की सेवाएं और चुनाव अधीक्षकों की सेवाएं उपलब्ध कराईं। सदन को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि नामीबिया में सेवारत हमारे इन नागरिकों के परिश्रम, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की बहुत सराहना हुई है। मुझे विश्वास है कि हमारे इन नागरिकों की सराहना करने में इस सदन के सदस्य मेरा साथ देंगे। नामीबिया के अनुरोध पर हमने भारतीय पुलिस के 50 मॉनिटरों को अपने खर्च पर तीन महीने के लिए वहां छोड़ना स्वीकार किया है।

राष्ट्रपति सामनुजोमा से अपनी मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें इस बात का वचन दिया कि उनके राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों में भारत सहयोग देगा। हमने उन्हें मानव संसाधन विकास एवं

नागरिक प्रशासन तथा अध्यापक प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाएं देने का वचन दिया है। हमने योजना, वित्त एवं जल संसाधन विकास के क्षेत्रों में सलाहकारों की सेवाएं तथा लघु उद्योगों के विकास की संभावनाओं का अध्ययन कराने में अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया है हम सामान और सेवा की पूर्ति के लिए उन्हें रियायती ऋण भी देंगे। हमने इन कार्यकलापों के लिए कुल मिलाकर लगभग 20 करोड़ रुपए की रकम उपलब्ध कराने का इन्तजाम किया है।

नामीबिया की यात्रा के दौरान मुझे फ्रंटलाइन्स स्टेट्स के अध्यक्ष राष्ट्रपति कैनेथ काउन्डा, "अफ्रीका एकता संगठन" के अध्यक्ष राष्ट्रपति हुसनी मुबारक, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष राष्ट्रपति जानेज द्रोनोव्स्क तथा बोत्सवाना के राष्ट्रपति मसिरे, तन्जानिया के राष्ट्रपति म्विन्यी, फिलिस्तीन राज्य के राष्ट्रपति अराफात, मारीशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री काजी जफर अहमद के साथ उपयोगी विचार-विमर्श का अवसर मिला। अमेरिका के विदेश मंत्री जेम्स बेकर और सोवियत विदेश मंत्री शेवर्दनाद्जे के साथ भी मेरी लाभप्रद मुलाकातें हुईं। यह एक सुखद संयोग है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पेरेज द कुलियार के साथ मेरी पहली मुलाकात एक ऐसे मोके पर हुई जबकि संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत बड़ा वायदा पूरा हो रहा था। आप तो जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने नामीबिया की स्वतंत्रता से पूर्व के संक्रमणकाल में उल्लेखनीय दक्षता और निष्पक्षता के साथ अपना फर्ज अदा किया।

डॉ. नेल्सन मंडेला के साथ हमारी मुलाकात न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हमारे प्रतिनिधिमण्डल के सभी सदस्यों के लिए एक अविस्मरणीय एवं मर्मस्पर्शी क्षण था। रंगभेद-विरोधी संघर्ष में सक्रिय भाग लेने की भारत की अटूट परम्परा की, जो महात्मा गांधी की अग्रणी भूमिका से शुरू होकर आज तक बदस्तूर कायम है, उन्होंने हार्दिक प्रशंसा की। लगभग तीन दशक तक कारावास भोगने के बावजूद डॉ. मंडेला अपने उद्देश्य से तनिक भी विचलित नहीं हुए हैं; अपने लोगों को रंगभेद से मुक्ति दिलाने में उनका दृष्टिकोण आज भी खंडित नहीं हुआ है; एवं आज भी उनका संकल्प उतना ही दृढ़ है। मैंने एक बार फिर उन्हें सुविधानुसार भारत आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मैंने डॉ. मंडेला को इस बात का भी विश्वास दिलाया कि इस नाजुक दौर में भारत प्रीटोरिया सरकार के खिलाफ लगाए अपने प्रतिबंधों में जरा भी ढील नहीं देगी तथा उस पर यथेष्ट दबाव कायम रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जनमत निरन्तर जागृत करती रहेगी। हम "अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस" के साथ अपनी नीतियों का तालमेल बनाए रखेंगे और रंगभेद को समाप्त करने के संयुक्त प्रयास में, उसे अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे।

पश्च टिप्पण

IV. नामीबिया की यात्रा पर वक्तव्य, 30 मार्च, 1990

कोई टिप्पण नहीं।

श्रीनगर में मौलवी फारूक की हत्या के संबंध में वक्तव्य

22 मई, 1990

मौलाना मीरवाइज़ फारूक की हत्या पर मैं अपना गहरा क्षोभ व्यक्त करना चाहूंगा। यह सारे सदन की भावना है। वह बहुत ही सम्मानित धार्मिक नेता थे। वह आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुए, यह स्पष्टत: आतंकवादियों के इरादों को दर्शाता है और हम यह पाते हैं कि वे लोग उनका शिकार हुए हैं जो या तो उदारवादी थे या राष्ट्रवादी। राजनैतिक रूप से पुलिस या अर्ध सैनिक बलों के अलावा ये आतंकवादियों का शिकार हुए हैं। अत: हमें समझना चाहिए कि राजनैतिक रूप से गोलियों का निशाना कौन हैं। जो हमारे पास सूची है उसमें गुलाम मुस्तफा मोर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अब्दुल सत्तार रंजूर एक स्वतंत्रता सेनानी शेख मग्सूर विधायक, गुलाम नबी खुल्लर, डॉ. फारूक अब्दुल्ला का जीवन भी खतरे में है। मैं यह कहूंगा कि नेशनल कान्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस के लोग भी आतंकवादियों का शिकार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर भी हमले हुए हैं। ऐसे क्षेत्र हैं। यहां तक कि एक श्रमिक भी महत्वपूर्ण है रावत जी, क्या यह व्यवधान डालने का समय है? आप अन्य विषयों पर मेरी तीव्र आलोचना कर सकते हैं, ऐसे 101 विषय हैं। हमें इस मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। मेरा यह कहना है कि सभी लोगों और बलों ने अपनी देश भक्ति उस खून से सिद्ध की है जिसे उन्होंने इस देश के लिए बहाया है और ये वे ताकतें हैं जिन्हें हमें एक साथ मिलाना है। इसका निर्णय कैसे किया जाए, यह एक मुख्य बात है। यह वह विभाजक रेखा है जहां हमें देखना है कि कौन अलगाववाद के समर्थक हैं और कौन देश के हित में हैं। इस संबंध में कोई और विभाजक रेखा भी हो सकती है। लेकिन हमें उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अत: धार्मिक आस्था आदि पहलू भी हो सकते हैं लेकिन यह विभाजक रेखा है। लक्ष्य भी यही है और यह सुनिश्चित करना भी हमारी समान रूप से जिम्मेदारी है कि वे ताकतें एक साथ आगे आएं और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और इस चुनौती को हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तथा यह हमारा कर्तव्य भी है। श्री साठे ने कहा कि चाहे एक नागरिक सुरक्षा के लिए कहता है या नहीं यह मुद्दा नहीं है। यह सरकार का कर्तव्य है कि चाहे कोई कहे या नहीं कहे सरकार को उसे पूरी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। फिर निश्चित रूप से, जब सुरक्षा प्रदान करने की पेशकश की जाती है तो यदि सुरक्षा को स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन यदि यह पेशकश स्वीकार नहीं की जाती है इस मामले में पेशकश की गई थी परन्तु स्वीकार नहीं की गई फिर भी सरकार की जिम्मेदारी रह जाती है और उसे इससे छुटकारा नहीं मिलता है। जहां तक गृह मंत्री के कहने की बात है जैसे कि श्री सैफुद्दीन सोज़ ने कहा था कि तथ्यों की जांच की जा सकती है। अब चाहे कोई भी तथ्य हमारे सम्मुख आए हों लेकिन मौलवी फारूक के शरीर को मीरवाइज़ मंजिल तक एक जुलूस में ले जाया गया। कर्फ्यू का कोई उल्लेख नहीं है। रास्ते में इस्लामिया कालेज के निकट भीड़ के एक वर्ग ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। इसका फायदा उठाते हुए उग्रवादी, भीड़ में मिल गए और सुरक्षा बलों पर एक ए.के. 47 और अन्य हथियारों से गोली चलाने लगे।

अत: इससे पता नहीं चलता है कि भीड़ पर गोली चलाई गई लेकिन यही वह स्थिति थी जब आपस में गोलियां चलीं। वैसे यह सच है कि जब आपस में गोली चली तो जहां से गोली चल रही थी वहां लक्ष्य भेद किया गया था लेकिन अन्य लोग भी हताहत हुए और हमें ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन ए.के. 47 राइफलों का सामना करते वक्त ऐसी स्थिति में उनकी यह प्रतिक्रिया होनी लाजमी थी कि इसको कैसे विफल किया जाए। मुख्य मुद्दा तो कश्मीर के लोगों का है और अन्तत: इसका समाधान कश्मीर के लोगों से आना चाहिए। हमारी नीति स्पष्ट है और हमें इनके दु:खों के निवारण में लगना चाहिए और यदि उनकी कोई सही शिकायतें हैं तो हमें उन्हें दूर करना चाहिए तथा उन्हें विकास और अन्य समस्याओं के सम्बंध में संतुष्ट करना चाहिए। इसी वजह से मैं समझता हूं कि कश्मीर के लोगों को शामिल किए बिना कोई समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही हमें सीमा के पार चल रहे गहरे षड्यंत्र को भी कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे देश में अलगाववाद फैलाने और छिन्न-भिन्न करने के लिए दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्रकारी योजना चल रही है। सीमा के पार शिविर लगे हैं, शिविर खोले जा रहे हैं तथा देशों की विभिन्न राजधानियों के लोगों को भी यह लग रहा है कि यह सब वहां चल रहा है। इस बात का हमें सामना करना है। पंजाब में भी यही स्थिति है। मुख्य विषय तो यही है। यह तो पंजाब की सुरक्षा तथा जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा का ध्यान रखने की बात है। हमारी सुरक्षा और अखंडता को होने वाले खतरे को देखते हुए हमें इसका कड़ाई से मुकाबला करना चाहिए और हम यह करने के लिए कृत संकल्प हैं। इस संबंध में हम बहुत स्पष्ट हैं।

*** *** ***[1]

हां, हमने यह बात कही है। सरकार ने अपनी पूरी क्षमता से सीमाओं को सील करने का विचार किया है। साथ ही हमें मानव अधिकारों, मानवीय पहलू, लोगों की समस्याओं तथा लोगों को शामिल करने के संबंध में संवेदनशील होना चाहिए। मैं समझता हूं इस मिले-जुले दृष्टिकोण के प्रति कोई विवाद नहीं है और सरकार इस संबंध में पूरा न्याय करेगी।

पश्च टिप्पण

V. श्रीनगर में मौलवी फारूक की हत्या के संबंध में वक्तव्य, 22 मई, 1990

1. **एक माननीय सदस्य** : सीमाओं को सील करने के बारे में क्या कर रहे हैं?

हरियाणा में हाल की घटनाओं पर वक्तव्य

22 मई, 1990

कल महम का मुद्दा उठाया गया था। विपक्ष के नेता ने यहां सभा में कहा था कि सरकार का निर्णय यहां और अभी बताया जाए। इन शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस मामले को मंत्रिमंडल में उठाऊंगा और फिर आज पुन: सभा में आऊंगा। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सभा में आऊं और रिपोर्ट दूं। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि जनता दल अध्यक्ष, श्री बोम्मई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला से आग्रह किया है कि हाल की घटनाओं को देखते हुए उन्हें इस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए और उन लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जिनके प्रति जनता दल वचनबद्ध है मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा था कि दल के एक अनुशासित सदस्य के नाते वह दल के अध्यक्ष की सलाह पर चलेंगे और तत्काल पद छोड़ देंगे, मुझे आगे बताया गया कि श्री बोम्मई को श्री चौटाला का त्यागपत्र प्राप्त हुआ है और यह इसे हरियाणा के राज्यपाल के पास भेज रहे हैं। मुझे यह भी बताया गया कि नए नेता को चुनने के लिए कल जनता दल की हरियाणा शाखा की बैठक होगी और कल हरियाणा में नई सरकार होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री चौटाला और जनता दल ने सार्वजनिक जीवन की उच्च परंपराओं को बनाए रखने के लिए और वहां बहुसंख्या में होने के बावजूद तथा इस बात के बावजूद कि वह चुने गए हैं और निश्चित रूप से पांच साल तक पद पर बने रह सकते हैं लेकिन लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपना त्यागपत्र दिया और मैं समझता हूं कि हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए इसलिए महोदय, जनता दल अध्यक्ष श्री बोम्मई की अपील पर उन्होंने यह सब किया।

श्री साठे जी, मैं आपके उत्साह को जानता हूं। इसे तब तक रोक दीजिए जब तक कि इसे प्रयोग में लाया जाए। मैं जानता हूं कि इसका सदुपयोग होगा, यद्यपि ऐसा इस समय नहीं हो सकता परन्तु ऐसा होगा। बात यह है, कि जहां तक किसी कार्यवाही आदि का सम्बन्ध है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश जांच कर रहे हैं और सभी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच आरंभ कर दी गई है। जहां तक किसी कार्यवाही का सम्बन्ध है, वास्तव में, इसकी छानबीन हो रही है।

यह मुद्दा राजनैतिक और नैतिक था। मैंने पहले दिन ही इस बारे में कह दिया था कि यदि एक भी लोकतांत्रिक आदर्श को बनाए रखने का समय आता है तो हम उस आदर्श को त्यागने की बजाए सत्ता छोड़ने को तैयार हैं। हम उन राजनैतिक परम्परा के नहीं हैं कि सरकार को बरकरार रखने के लिए सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को छोड़ दें जैसा कि हमने विगत पांच वर्षों में देखा है।

मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट हूं। कृपया मुझे भाषण समाप्त करने दीजिए। मैं केवल कुछ ही शब्द कहना चाहता हूं।

मैं इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट हूं। यदि हमारे अन्दर व्यवस्था को बदलने और मूल्यों पर आधारित व्यवस्था कायम करने का साहस है तो इसके लिए हमें केवल एक सरकार में रहकर ही नहीं बल्कि अनेक सरकारों में रहकर भी परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अत: ये परिवर्तन और सुधार के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और हम उस साहस को प्रदर्शित करने के लिए तैयार हैं। हमारे अन्दर साहस है क्योंकि हम जनता से निकलकर आए हैं। हमने लड़ाई की है, संघर्ष किया है और तब आए हैं और यदि यह इन मूल्यों के रास्ते में आता है तो हम पुन: जनता के सामने जाएंगे, संघर्ष करेंगे और वापिस सत्ता में आकर इस व्यवस्था को कायम करेंगे। अत: हम किसी प्रभाव में नहीं हैं कि हम यहां चिपकू व्यक्तियों की तरह चिपके रहेंगे।

चिपकने वालों के दिन बीत गए हैं। जनता ऐसे व्यक्तियों के प्रति जागरूक हो गई है। यहां कोई भी चिपकू नहीं है।

पश्च टिप्पण

VI. हरियाणा में हाल की घटनाओं पर वक्तव्य, 22 मई, 1990

कोई टिप्पण नहीं।

जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कुपवाड़ा सेक्टर के मछाल सब-सेक्टर में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलाबारी पर वक्तव्य

21 अगस्त, 1990

अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कुपवाड़ा सेक्टर उन क्षेत्रों में से है जहां हाल के महीनों में पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी घुसपैठ करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं।

कुपवाड़ा सेक्टर का मछाल सब-सेक्टर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के "केल" गांव के सामने पड़ता है। हाल ही में हमारी सेना ने इस क्षेत्र में कुछ लोगों को घुसपैठ करते हुए देखा था। 12 अगस्त, 1990 को हमारी सेना ने उपयुक्त कार्रवाई करके घुसपैठियों को खदेड़ बाहर किया। पाकिस्तानी सेना ने हमारी इस कार्रवाई से मोर्टार और तोपों जैसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए, हस्तक्षेप करने की कोशिश की। लेकिन हमारी सेना इस क्षेत्र से घुसपैठियों को पूरी तरह से खदेड़ बाहर करने में सफल हुई।

पाकिस्तानी समाचार माध्यमों ने इस घटना को इस रूप में बताया कि हमारी सेनाओं ने उस क्षेत्र में पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया। हमने इसका खंडन किया।

कुछ दिन शांत रहने के बाद 20 अगस्त से पाकिस्तानी फौज ने मछाल सब-सेक्टर में हमारी कई चौकियों पर गोले बरसाने शुरू किए। इस क्षेत्र में हमारी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में उन पर गोलाबारी की। गोलाबारी दोनों ओर से जारी है। लेकिन यह सब इसी सब-सेक्टर तक सीमित है।

वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर-जनरल एक-दूसरे से संपर्क किए हुए हैं। इसमें अनावश्यक रूप से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की स्थानीय झड़पों पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। हमारी सेना किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

हमें पूरी आशा है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और पाकिस्तान की सरकार शिमला समझौते का पूरा पालन करने की आवश्यकता को समझेगी।

यह उस बातचीत के अनुरूप ही होगा, जो हमने पाकिस्तान की सरकार के साथ हाल ही में शुरू की है।

पश्च टिप्पण

VII. जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कुपवाड़ा सेक्टर के मछाल सब-सेक्टर में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलाबारी पर वक्तव्य, 21 अगस्त, 1990

कोई टिप्पण नहीं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन पर वक्तव्य

24 अगस्त, 1990

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर समन्वित एवं व्यापक ढंग से विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने की अपनी इच्छा की घोषणा की थी। यह परिषद, विदेशी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य स्थितियों और हमारी घरेलू चिंताओं एवं उद्देश्यों से उनके संबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगी।

चूंकि बाह्य भौगोलिक सामरिक महत्व का वातावरण तथा देश की आंतरिक परिस्थिति दोनों ही तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए सम्पूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता का आज विशेष महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं जिससे संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से शक्ति के नए संतुलन की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सोच-विचार द्वारा ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियां निर्धारित की जा रही हैं और आज आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे विकास प्रक्रिया नई शक्तियां प्रदान करती हैं तथा ऐसी आकांक्षाएं उत्पन्न करती हैं जिन्होंने बहुत से क्षेत्रों में सामाजिक तथा प्रशासनिक ढांचों को तनावपूर्ण बना दिया है, वैसे ही घरेलू स्थिति भी बदल रही है। देश के कुछ भागों में ये प्रवृत्तियां बाहरी ताकतों द्वारा संयोजित की जाती हैं जो उग्रवादी तथा आतंकवादी संगठनों को उनकी गैर-कानूनी एवं ध्वंसात्मक गतिविधियों में मदद देती है, एवं बढ़ावा देती है। अगर इन प्रवृत्तियों को बगैर रोक-टोक के जारी रहने दिया जाता है, तो ये राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को क्षति पहुंचा सकती है।

अत: सरकार ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:-

प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
रक्षा मंत्री	सदस्य
वित्त मंत्री	सदस्य
गृह मंत्री	सदस्य
विदेश मंत्री	सदस्य

यह परिषद आवश्यकतानुसार अन्य केन्द्रीय मंत्रियों तथा किसी राज्य के मुख्यमंत्री को परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुरोध कर सकती है। यह परिषद आवश्यकतानुसार सुविज्ञों और विशेषज्ञों को भी इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्य प्रयास होगा राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही बाह्य स्थिति तथा हमारी आंतरिक स्थिति के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना, क्योंकि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है। इससे उन रणनीतियों की पहचान होगी जो रक्षा, आंतरिक सुरक्षा तथा विदेशी मामलों में हमारे प्रयासों

के अच्छे परिणाम निकलने की आशा बढ़ाती है। यह परिषद इस बात का सुनिश्चय करेगी कि आंतरिक तथा भौगोलिक सामरिक महत्व के वातावरण का मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन मूल्यांकन हो, जिससे कि संबंधित मामलों में सरकारी नीति बनाने में परिप्रेक्ष्य का काम करे। परिषद के विचार के लिए जो विषय प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल करेंगे:-

(क) बाह्य खतरे की स्थिति।

(ख) सामरिक महत्व की रक्षा संबंधी नीतियां।

(ग) अन्य सुरक्षा संबंधी खतरे, विशेषरूप से ऐसे खतरे जिनका संबंध परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा उच्च टेक्नोलॉजी से है।

(घ) आन्तरिक सुरक्षा जिसमें प्रति-विद्रोह, प्रति-आतंकवाद और प्रति-आसूचना जैसे पक्ष शामिल हैं।

(ड.) देश के भीतर ऐसे उन्माद की संभावना होना, विशेषरूप से जिसका सामाजिक, सांप्रदायिक अथवा प्रादेशिक आयाम हो।

(च) भारत की आर्थिक तथा विदेशी नीतियों पर विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो रही प्रवृत्तियों की सुरक्षा संबंधी उलझनें।

(छ) ऊर्जा, खाद्य तथा वित्त जैसे क्षेत्रों में बाह्य आर्थिक खतरे।

(ज) तस्करी तथा हथियारों, ड्रगों तथा नार्कोटिक के अवैद्य व्यापार जैसे सीमापार अपराधों से उत्पन्न खतरे।

(झ) सामरिक महत्व के तथा सुरक्षा संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय सहमति तैयार करना।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें सचिव, मंत्रिमंडल अध्यक्ष होंगे और तीनों सेवाओं के प्रतिनिधि तथा संबंधित मंत्रालय होंगे। स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को मंत्रालयों या अन्य सरकारी एजेंसियों या विशेष टास्क फोर्सेस द्वारा जैसे कि पैरा 6 में दर्शाया गया है प्रस्तुत किए गए कागजातों और रिपोर्टों के समुचित अध्ययन का निरीक्षण करेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अपना एक अलग सचिवालय होगा जिसका प्रमुख सचिव होगा और वह अधिकारी भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा। यह सचिवालय स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप को भी सेवाएं प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के गहन अध्ययन हेतु परिषद के अध्यक्ष जितनी चाहें उतनी टास्क फोर्सिस स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक टास्क फोर्स विशेष क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित होगी और उसके सदस्य सरकारी सुरक्षा मामलों में कार्यरत मंत्रालयों और एजेंसियों से ही लिए जाएंगे। प्रत्येक टास्क फोर्स का प्रमुख उस टास्क फोर्स को सौंपे गए कार्य का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता होगा। यद्यपि टास्क फोर्स प्रशासनिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय से जुड़ा रहेगा, किन्तु सरकारी या बाहरी एजेंसियों से विशेषज्ञ सहायता के लिए अनुरोध कर सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर देश के भीतर अधिक से अधिक संभावित सर्वसम्मति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करेगी। इसके लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसके सदस्यों को मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विद्वानों, वैज्ञानिकों और प्रशासन सेवा का अच्छा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, सशस्त्र बलों, प्रेस और समाचार माध्यमों से शामिल किए जाएंगे। बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी और यह अपनी कार्यवाहियों का रिकार्ड रखेगा।

बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विचारों एवं विकल्पों का एक व्यापक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से एक रचनातंत्र के रूप में कार्य करेगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पर विचार के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कागजातों एवं उनके अध्ययन कार्य में महत्वपूर्ण निवेश का कार्य करेगा। बोर्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय की सेवाएं प्राप्त होंगी।

महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन के संबंध में संकल्प के पाठ को मैं पहले ही पढ़कर सुना चुका हूं। अब मैं इसी संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

1. सरकार ने देश की सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का व्यापक और समन्वित जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने का निर्णय लिया है। परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और इसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री तथा विदेश मंत्री शामिल होंगे। जब कभी आवश्यकता होगी तो अन्य केन्द्रीय मंत्रियों तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इससे सम्बद्ध किया जाएगा। परिषद इसकी बैठकों में शामिल होने के लिए विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करेगी।

2. ऐसे ढांचे की आवश्यकता तेजी से बदलते बाहरी वातावरण तथा देश में आंतरिक स्थिति के संदर्भ में महसूस की गई। परिषद सैन्य तथा असैन्य धमकियों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण के प्रति समन्वित दृष्टिकोण तैयार करने का प्रयास करेगी क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है। रक्षा, आंतरिक सुरक्षा तथा विदेशी मामलों में हमारे प्रयासों को आशावादी बनाने तथा सरकार की नीति को आकार देने हेतु एक परिप्रेक्ष्य के रूप में कार्य करने हेतु मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन मूल्यांकन का विकास करने हेतु वे रणनीतियों की पहचान में सहायता करेंगे।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक उद्देश्य सामरिक तथा सुरक्षा मुद्दों पर एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करना तथा जागरूकता पैदा करना भी है। इसे प्राप्त करने हेतु एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है जिसके सदस्य मुख्यमंत्रियों, सांसदों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों तथा उन लोगों में से लिए जाएंगे जिनका प्रशासन, सशस्त्र सेनाओं, प्रेस तथा समाचार माध्यमों में सेवाओं का काफी अनुभव हो। बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी तथा यह राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विचारों एवं विकल्पों का एक व्यापक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए एक रचनातंत्र के रूप में कार्य करेगा।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का एक अलग सचिवालय होगा। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों को मिलकर बना सामरिक कोर ग्रुप तथा संबंधित मंत्री इसे सहयोग देंगे।

5. माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन तथा इसके कार्यों और कार्य क्षेत्र से संबंधित एक संकल्प सभा पटल पर रखा जाता है।

पश्च टिप्पण

VIII. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन पर वक्तव्य, 24 अगस्त 1990

कोई टिप्पण नहीं।

`

युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय के संबंध में वक्तव्य

27 अगस्त, 1990

7 अगस्त, 1990 को मैंने मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की घोषणा इस सदन में की थी।

जैसाकि सदन को ज्ञात है, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी। तत्पश्चात् अनेक बार दोनों सदनों में इस पर चर्चा की गई और इसे पर्याप्त समर्थन मिला तथा मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन की जोरदार मांग की गई। राष्ट्रीय मोर्चे ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि यह अतिशीघ्र मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन करेगा और चुनाव के दौरान लोगों को सत्यनिष्ठा से यह वचन दिया था कि वह सत्ता में आने के एक वर्ष के अन्दर इसका कार्यान्वयन करेगा।

जब यह सरकार सत्ता में आई तो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन करने के लिए वचनबद्ध है। सदस्यों के एक बड़े वर्ग की ओर से दोनों सदनों में इसके कार्यान्वयन की सतत मांग की गई। पिछले सत्र में मैंने राज्य सभा में यह आश्वासन दिया था कि सरकार जल्दी ही इस पर अपना निर्णय लेगी।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, श्रमिकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए इस सरकार ने अनेक निर्णय किए हैं। सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, जो हमारी जनसंख्या का 52% बनते हैं, को न्याय दिलाने की अपनी पूर्व वचनबद्धता के अनुसार मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सरकार का निर्णय उन उपायों का ही एक भाग है जो कि "सामाजिक न्याय वर्ष", अर्थात् बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर शताब्दी वर्ष में किया गया है।

उन्हें आरक्षण प्रदान करने में, सरकार की मंशा यह है कि उन्हें सामाजिक न्याय दिया जाए और हमारे संविधानिक दायित्वों को निभाते हुए उन्हें देश के अभिशासन तथा इसका रूप निखारने में हिस्सा दिया जाए। जैसा कि सदस्यों को विदित है कि अनेक राज्यों द्वारा अपनी सेवाओं में पिछड़े वर्गों को पहले ही आरक्षण दे दिया गया है। मंडल आयोग की सिफारिशों पर इस सरकार का निर्णय भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं से संबंधित है।

मंडल आयोग की रिपोर्ट केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में है। इसमें आर्थिक मानदंड जोड़ने से इसका प्रयोजन फीका पड़ा जाएगा। अत: सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5% को कम करना सम्भव नहीं है।

इसके साथ-साथ सरकार हमारे सामान्य युवाओं के भविष्य के प्रति भी समान रूप से चिन्तित

है। राज्य सभा में सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अतिरिक्त, गरीबों के लिए भी आरक्षण प्रदान किया जाए और मैंने यह कहा था कि सामाजिक वर्गों पर ध्यान दिए बिना हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। यही बात वित्त मंत्री प्रो. मधु दंडवते जी द्वारा लोक सभा में हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए दोहराई गई थी। इस महान सदन में व्यक्त भावनाओं का आदर करते हुए हम सामाजिक वर्गों पर बिल्कुल ध्यान दिए बिना और पूर्णत: समुचित आर्थिक मानदंडों के आधार पर गरीबों के लिए 5% से 10% अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव करते हैं।

राष्ट्रीय मोर्चे की सत्यनिष्ठापूर्वक की गई एक अन्य वचनबद्धता काम के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करने से संबंधित थी। सरकार राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद उपलब्ध संसाधनों के अन्दर काम के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए समुचित रूढ़िवादी विचार के बाद इसी सत्र में एक संविधान संशोधन विधेयक लाने का इरादा रखती है और उसे पारित करने में सभी दलों का सहयोग चाहती है।

हमारे युवाओं के प्रति हमारी चिन्ता के फलस्वरूप आठवीं योजना में रोजगार पर संकेन्द्रित बल देने का निर्णय किया गया है। आठवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में त्वरित दर से उत्पादक रोजगार के अवसरों के विस्तार को केन्द्रीय लक्ष्य बनाया गया है। योजना का लक्ष्य रोजगार में बढ़ोतरी की वार्षिक दर के हिसाब से निश्चित किया गया है तथा यह अगले दशक के दौरान प्रति वर्ष 3% बढ़ोतरी के रूप में निर्धारित किया गया है। शिक्षित लोगों के साथ-साथ गरीब लोगों की बेरोजगारी की समस्या वास्तव में रोजगार के अवसरों के त्वरित विस्तार, विशेषरूप से व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक स्वरोजगार तथा सर्वांगीण उत्पादक रोजगारोन्मुख अर्थव्यवस्था के विकास से ही हल की जा सकती है।

यहां यह उल्लेख भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि सरकार राष्ट्र के निर्माण में युवाओं को शामिल करने तथा युवाओं की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय युवा परिषद स्थापित करने का इरादा रखती है। रोजगार संभावनाओं तथा सामान्य रूप से हमारे शिक्षित युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए, मैंने 15 अगस्त, 1990 को अपने इस निर्णय की घोषणा की थी कि युवाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का प्रवाह 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 265 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा और यह मुख्यत: स्वरोजगार, उच्च अध्ययन तथा साक्षरता कार्यक्रमों में युवाओं को शामिल करने के लिए होगा। ऐसा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि केवल सरकारी नौकरियों से ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता अत: लाभकारी रोजगार के अन्य रास्ते भी बढ़ाने होंगे।

इन तथ्यों को इनके सच्चे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मुझे विश्वास है कि देश के सभी वर्ग तथा माननीय सदस्य हमारे सामाजिक तथा संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने और सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर होने में हमें अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

पश्च टिप्पण

IX. युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपाय के संबंध में वक्तव्य, 27 अगस्त, 1990

कोई टिप्पण नहीं।